सं. ई०एक्स०एन—डी(6)—2/2024 हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य कर एवं आबकारी विभाग

प्रेषित

सचिव, हिमाचल प्रदेश विधान सभा शिमला—4.

दिनांकः शिमला-171002

25.03.2025:

विषय:

हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 🕹 ) को हिमाचल प्रदेश विधान सभा के सत्र में रखने बारे नोटिस।

महोदय,

मुझे आपको यह सूचित करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है कि मैं हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्याक 🗘) को विधान सभा के मॉनसून अधिवेशन में प्रस्तुत करना चाहता हूँ।

विधेयक की 100 प्रतियां (तीन अधिप्रमाणित प्रतियों सहित) संलग्न हैं। आपसे अनुरोध है कि इस विधेयक को विधान सभा में प्रस्तुत करने के लिए कार्यसूची में शामिल करने की कृपा करें।

(सुखविंदर सिंह सुक्खू) मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश

संलग्लः यथोपरि।

2025 का विधेयक संख्यांक 1

हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025

(विधान सभा में पुर:स्थापित रूप में)

# हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025

#### खण्डों का क्रम

#### खण्ड:

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।
- 2. धारा ९ का संशोधन।
- 3. धारा 10 का संशोधन।
- 4. धारा 11क का अंतःस्थापन।
- 5. धारा 13 का संशोधन।
- 6. धारा 16 का संशोधन।
- 7. धारा 17 का संशोधन।
- धारा 21 का संशोधन।
- 9. धारा 30 का संशोधन।
- 10. धारा 31 का संशोधन।
- 11. धारा ३५ का संशोधन।
- 12. धारा ३९ का संशोधन।
- 13. धारा ४९ का संशोधन।
- 14. धारा 50 का संशोधन।
- 15. धारा 51 का संशोधन।
- १६. धारा ५४ का संशोधन।
- 17. धारा 61 का संशोधन।
- 18. धारा ६२ का संशोधन।
- 19. धारा 63 का संशोधन।
- 20. धारा ६४ का संशोधन।
- 21. धारा ६५ का संशोधन।
- 22. धारा ६६ का संशोधन।
- 23. धारा 70 का संशोधन।
- 24. धारा ७३ का संशोधन।
- 25. धारा ७४ का संशोधन।
- 26. धारा 74क का अंतःस्थापन।
- 27. धारा ७५ का संशोधन।
- 28. धारा 104 का संशोधन।

- 29. धारा 107 का संशोधन।
- 30. धारा 109 का संशोधन।
- 31. धारा 112 का संशोधन।
- 32. धारा 122 का संशोधन।
- 33. धारा 127 का संशोधन।
- 34. धारा 128क का अंतःस्थापन।
- 35. धारा 171 का संशोधन।
- 36. अनुसूची 3 का संशोधन।
- 37. संदत्त करों या प्रतिलोभ इनपुट कर प्रत्यय का कोई प्रतिदाय न किया जाना।
- 38. हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2024 की धारा 4 का भूतलक्षी प्रभाव।

#### 2025 का विधेयक संख्यांक 1

# हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025

# (विधान सभा में पुर:स्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 10) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

- 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश माल और संक्षिप्त नाम सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2025 है।
  - (2) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय.
    - (क) धारा 6, 30, 35 और 37 के उपबन्ध तारीख 27 सितम्बर, 2024 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।
    - (ख) धारा 2, 3, 4, 5, 7 से 29, 31 से 34 और 36 के उपबन्ध तारीख 1 नवम्बर, 2024 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।
- 2. हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे इसमें घारा 9 का 10 इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 9 की उपधारा (1) में, <sup>संशोधन</sup>। "मानवीय उपभोग के लिए मद्यसारिक पान" शब्दों के पश्चात् "और विकृत अतिरिक्त निष्प्रभावी मद्यसार या परिशोधत स्प्रिट जो मानवीय उपयोग के लिए मद्यसारिक पान के विनिर्माण हेतु प्रयुक्त किया जाता है," शब्द अतःस्थापित किए जाएंगे।
  - 3. मूल अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (5) में, "धारा 73 या धारा धारा धारा का 74," शब्दों और अंकों के पश्चात् "या धारा 74क", शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे। स्रवीवन्द्र सिंह

मुख्यमन्त्री हिमाचल प्रदेश आह्य प्रमाणित

15

धारा 11क का अंतःस्थापन । 4. मूल अधिनियम की धारा 11 के पश्चात निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात:—

"11क साधारण पद्धति के परिणामस्वरूप उद्गृहीत नहीं किए गए या कम उद्गृहीत किए गए माल और सेवा कर की वसूली न करने की शक्ति,— इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि सरकार का यह समाधान हो जाता है कि—

5

(क) माल या सेवाओं या दोनों की किसी पूर्ति पर राज्य कर के उद्ग्रहण (उसके गैर उद्ग्रहण सहित) के संबंध में कोई पद्धति साधारणतया प्रचलन में थी या है; और

10

- (ख) ऐसी पूर्तियां, जो निम्नलिखित के लिए दायी थी या हैं-
  - (i) उन मामलों में, जहां उक्त पद्धति के अनुसार, राज्य कर उद्गृहीत नहीं किया गया था या उद्गृहीत नहीं किया जा रहा है, राज्य कर, या

15

(ii) राज्य कर की ऐसी रकम, जिसे उक्त पद्धति के अनुसार, उद्गृहीत किया जा रहा था या उद्गृहीत किया जा रहा है, से उच्चतर रकम, है

20

तो राज्य सरकार, परिषद् की सिफारिश पर, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि, यथास्थिति, ऐसी पूर्तियों पर संदेय सम्पूर्ण राज्य कर या ऐसी पूर्तियों पर संदेय राज्य कर के आधिक्य में राज्य कर, यदि उक्त पद्धित नहीं होती तो, उन पूर्तियों के संबंध में सदत्त किया जाना अपेक्षित नहीं होगा, जिन पर राज्य कर, उक्त पद्धित के अनुसार, उद्गृहीत नहीं किया जा रहा था या उद्गृहीत नहीं किया जा रहा है या कम उद्गृहीत किया जा रहा है। "।

- (i) खंड (ख) में, "प्रदायकर्ता द्वारा बीजक या उसके बजाए," शब्दों के स्थान पर, "उन मामलों में, जहां बीजक प्रदायकर्ता द्वारा जारी किया जाना अपेक्षित है, प्रदायकर्ता द्वारा बीजक या उसके बजाए" शब्द रखे जाएंगे;
- (ii) खंड (खं) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएगा, अर्थातः—
  - "(ग) उन मामलों में, जहां बीजक, प्रदायकर्ता द्वारा जारी किया जाना है, वहां प्राप्तिकर्ता द्वारा बीजक जारी किए जाने की तारीख:";
- (iii) पहले परंतुक में, "या खंड (ख)" शब्द, कोष्ठक और अक्षर के पश्चात् "या खंड (ग)" शब्द, कोष्ठक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे।
- 6. मूल अधिनियम की धारा 16 में, 1 जुलाई, 2017 से, उपधारा (4) के <sub>धारा 16</sub> का 15 पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थातः—
  - "(5) उपधारा (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, वित्तीय वर्ष 2017—18, 2018—19, 2019—20, और 2020—21 से संबंधित माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के लिए किसी बीजक या नामे नोट के संबंध में, रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति, धारा 39 के अधीन किसी विवरणी में जिसे 30 नवंबर, 2021 तक फाइल किया गया है, इनपुट कर प्रत्यय लेने का हकदार होगा।
  - (6) जहां किसी रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति का रिजस्ट्रीकरण, धारा 29 के अधीन रद्द किया जाता है और तत्पश्चात् या तो धारा 30 के अधीन किसी आदेश द्वारा या अपील प्राधिकारी अथवा अपील अधिकरण या न्यायालय द्वारा किए गए किसी आदेश के अनुसरण में,

5

10

20

रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण प्रतिसंहत किया जाता है और जहां बीजक या नामे नोट के संबंध में, इनपुट कर प्रत्यय का लाभ रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के आदेश की तारीख को उपधारा (4) के अधीन निर्बंधित नहीं था, वहां उक्त व्यक्ति, धारा 39 के अधीन ऐसी विवरणी में माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के लिए ऐसे बीजक या नामे नोट के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय लेने का हकदार होगा,—

5

(i) उस वित्तीय वर्ष के पश्चात् आने वाले 30 नवंबर, जिससे ऐसा बीजक या नामे नोट संबंधित है या सुसंगत वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने तक, इनमें जो भी पूर्वतर हो फाइल की जाती है; या

10

(ii) यथास्थिति, रिजस्ट्रीकरण के रद्दकरण की तारीख से या रिजस्ट्रीकरण के रद्दकरण की प्रभावी तारीख से उस अवधि के लिए, रिजस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसहरण के आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर, इनमें जो भी पश्चात्वर्ती हो, फाइल की जाती है।"।

15

धारा 17 का 7. मूल अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (5) के खंड (झ) में, <sup>संशोधन</sup>। "धारा 74, धारा 129 और धारा 130 के उपबन्ध के अनुसार" शब्दों और अंकों के स्थान पर "वित्तीय वर्ष 2023—24 तक किसी अवधि के संबंध में धारा 74 के उपबन्ध," शब्द और अंक रखे जाएंगे।

20

- धारा 21 का **8.** मूल अधिनियम की धारा 21 में, "धारा 73 या धारा 74", शब्दों और <sup>संशोधन ।</sup> अंकों के पश्चात् "या धारा 74 क," शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे।
- धारा 30 का **9.** मूल अधिनियम की धारा 30 की उपधारा (2) के परंतुक के पश्चात्, <sup>संबोधन</sup>। निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

25

"परंतु यह और कि ऐसे रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन होगा, जो विहित की जाएं।"।

- (क) उपधारा (3) के खंड (च) में, " कोई रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति जो धारा 9 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन" शब्दों और अंकों के पश्चात्, "ऐसी अविध के भीतर, जो विहित की जाए" शब्द अंतः स्थापित्त किए जाएंगे;
- (ख) खंड (छ) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"स्पष्टीकरण— खंड (च) के प्रयोजनों के लिए, ''प्रदायकर्ता, जो रिजस्ट्रीकृत नहीं है" पद के अन्तर्गत ऐसा प्रदायकर्ता भी होगा, जो केवल धारा 51 के अधीन कर की कटौती के प्रयोजनों के लिए रिजस्ट्रीकृत है।"।

11. मूल अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (6) में, "धारा 73 या धारा धारा 35 का 74", शब्दों और अंकों के पश्चात् "या धारा 74क," शब्द, अंक और अक्षर संशोधन। अंतःस्थापित किए जाएंगे।

12. मूल अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (3) के स्थान पर, धारा 39 का निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात:—

"(3) धारा 51 के अधीन, स्त्रोत पर कर कटौती के लिए अपेक्षित प्रत्येक रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति, प्रत्येक कलेण्डर मास के लिए, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में तथा ऐसे समय के भीतर जो विहित की जाए, मास के दौरान की गई कटौतियों की एक विवरणी इलैक्ट्रानिक रूप से प्रस्तुत करेगाः

परंतु उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, प्रत्येक कलेण्डर मास के लिए एक विवरणी प्रस्तुत करेगा, चाहे उक्त मास के दौरान कोई कटौतियां की गई हों या नहीं।"।

13. मूल अधिनियम की धारा 49 की उपधारा (8) के खंड (ग) में, "धारा धारा 49 का 73 या धारा 74", शब्दों और अंकों के पश्चात् "या धारा 74क," शब्द, अंक और संशोधन। अक्षर अंतः स्थापित किए जाएंगे।

10

5

15

20

धारा 50 का 14. मूल अधिनियम की धारा 50 की उपधारा (1) के परन्तुक में, "धारा संशोधन। 73 या धारा 74", शब्दों और अंकों के पश्चात् "या धारा 74क," शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे।

धारा 51 का 15. मूलं अधिनियम की धारा 51 की उपधारा (7) में, "धारा 73 या धारा संशोधन। 74", शब्दों और अंकों के पश्चात् "या धारा 74 क," शब्द, अंक और अक्षर अंतः स्थापित किए जाएंगे।

धारा 54 का संशोधन।

- 16. मूल अधिनियम की धारा 54 में,—
  - (क) उपधारा (3) के दूसरे परंतुक का लोप किया जाएगा, और
  - (ख) उपधारा (14) के पश्चात् और स्पष्टीकरण से पूर्व निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थातः—

"(15) इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, माल का प्रदाय शून्य दर के मद्दे अनपयोजित इनपुट के प्रत्यय या माल की शून्य—दर प्रदाय के मद्दे संदत्त एकीकृत कर का कोई प्रतिदाय अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, जहां माल की ऐसी शून्य—दर प्रदाय निर्यात शुल्क के अध्यधीन है।"।

15

10

5

धारा 61 का संशोधन। 17. मूल अधिनियम की धारा 61 की उपधारा (3) में, "धारा 73 या धारा 74", शब्दों और अंकों के पश्चात् "या धारा 74 क," शब्द, अंक और अक्षर अंतः स्थापित किए जाएंगे।

धारा ६२ का संशोधन। 18. मूल अधिनियम की धारा 62 की उपधारा (1) में, "धारा 73 या धारा 74", शब्दों और अंकों के पश्चात् "या धारा 74 क," शब्द, अंक और अक्षर अंतः स्थापित किए जाएंगे।

20

धारा 63 का संशोधन। 19. मूल अधिनियम की धारा 63 में, "धारा 73 या धारा 74", शब्दों और अंकों के पश्चात् "या धारा 74 क," शब्द, अंक और अक्षर अंतः स्थापित किए जाएंगे।

- 20. मूल अधिनियम की धारा 64 की उपधारा (2) में, "धारा 73 या धारा धारा ६४ का 74", शब्दों और अंकों के पश्चात "या धारा 74 क," शब्द, अंक और अक्षर अंतः स्थापित किए जाएंगे।
- 21. मूल अधिनियम की धारा 65 की उपधारा (7) में, "धारा 73 या धारा धारा 65 का . 74", शब्दों और अंकों के पश्चात "या धारा 74 क," शब्द, अंक और अक्षर अंतः स्थापित किए जाएंगे।
  - 22. मूल अधिनियम की धारा 66 की उपधारा (6) में, "धारा 73 या धारा धारा 66 का 74", शब्दों और अंकों के पश्चात् "या धारा 74 क," शब्द, अंक और अक्षर अंतः स्थापित किए जाएंगे।
  - 23. मूल अधिनियम की धारा 70 की उपधारा (1) के पश्चात, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी. अर्थात :-

"(1क) उपधारा (1) के अधीन समन किए गए सभी व्यक्ति या तो व्यक्तिगत रूप से या किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उपस्थित होने के लिए आबद्धकर होगें, जैसा ऐसा अधिकारी निदेश दे और इस प्रकार उपस्थित होने वाला व्यक्ति परीक्षा के दौरान सत्य बोलेगा या कथन करेगा या ऐसे दस्तावेज और अन्य वस्तुएं, जो अपेक्षित हो, प्रस्तुत करेगा ।"।

24. मूल अधिनियम की धारा 73 में-

- - पार्श्वशीर्ष में "असंदत्त या कम संदत्त या त्रुटिवश प्रतिदत्त कर" शब्दों से पूर्व "वित्तीय वर्ष 2023-24 तक की अवधि से संबंधित" शब्द और अंक अंत स्थापित किए जाएंगे।
  - उपधारा (11) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात-
    - "(12) इस धारा के उपबंध वितीय वर्ष 2023–24 तक की अवधि से संबंधित कर के अवधारण को लागू होगें।" ।

20

10

15

धारा	74	का
संभो	भन	ı

- 25. मूल अधिनियम की धारा 74 में,-
- (i) पार्श्वशीर्ष में, "असंदत्त या कम संदत्त या त्रुटिवश प्रतिदत्त कर" शब्दों से पूर्व "वित्तीय वर्ष 2023—24 तक की अवधि से संबंधित" शब्द और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे;
- (ii) उपधारा (11) के पश्चात् और स्पष्टीकरण 1 से पूर्व निम्नलिखित उपधारा अतःस्थापित की जाएगी, अर्थातः—
  - "(12) इस धारा के उपबंध वित्तीय वर्ष 2023—24 तक की अवधि से संबंधित कर के अवधारण को लागू होंगे।"; और
- (iii) स्पष्टीकरण 2 का लोप किया जाएगा।

धारा ७४क का **26.** मूल अधिनियम की धारा ७४ के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापन । अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थातः—

"74क. वित्तीय वर्ष 2024—25 से संबंधित असंदत्त या कम संदत्त या त्रुटिवश प्रतिदाय किए गए कर से संबंधित किसी कारण से गलत तरीके से लिए गए या उपयोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय का अवधारण.—

(1) जहां समुचित अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि किसी कर का संदाय नहीं किया गया है या कम संदाय किया गया है या त्रुटिवश प्रतिदाय किया गया है या जहां इनपुट कर प्रत्यय गलत तरीके से लिया गया है या उपयोग किया गया है, तो वह ऐसे कर से प्रभार्य उस व्यक्ति को, जिसे इस प्रकार संदत्त नहीं किया गया है या जिसे इस प्रकार कम संदत्त किया गया है या जिस व्यक्ति को त्रुटिवश प्रतिदाय किया गया है, या जिसने गलत तरीके से इनपुट कर प्रत्यय लिया है या उपयोग किया है, उससे यह कारण बताने की अपेक्षा करते हुए क्यों न वह धारा 50 के अधीन उस पर संदेय ब्याज के साथ सूचना में विनिर्दिष्ट रकम तथा इस अधिनियम

5

15

10

20

या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन उद्ग्रहणीय शास्ति का संदाय करे, सूचना की तामील करेगा:

परंतु कोई सूचना जारी नहीं की जाएगी यदि किसी वित्तीय वर्ष में वह कर एक हजार रुपए से कम है, जिसे संदत्त नहीं किया गया है या कम सदत्त किया गया है या त्रुटिवश प्रतिदाय किया गया है या गलत तरीके से इनपुट कर प्रत्यय लिया है या उपयोग किया है।

- (2) समुचित अधिकारी उस वित्तीय वर्ष के लिए, जिसके लिए कर संदत्त नहीं किया गया है या कम संदत्त किया गया है या गलत तरीके से इनपुट कर प्रत्यय लिया है या उपयोग किया है, वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने के लिए देय तारीख से बयालीस मास के भीतर या त्रुटिवश प्रतिदाय की तारीख से बयालीस मास के भीतर, उपधारा (1) के अधीन सूचना जारी करेगा।
- (3) जहां उपधारा (1) के अधीन किसी अविध के लिए सूचना जारी की गई है, वहां समुचित अधिकारी कर से प्रभार्य व्यक्ति पर उपधारा (1) के अंतर्गत आने वाली अविधयों से भिन्न ऐसी कर अविधयों के लिए असंदत्त या कम संदत्त किए गए या त्रुटिवश प्रतिदाय किए गए कर अथवा गलत तरीके से लिए गए या उपयोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरे अंतर्विष्ट करने वाला एक कथन तामील कर सकेगा।
- (4) ऐसे कथन की तामील, उपधारा (1) के अधीन ऐसे व्यक्ति पर, इस शर्त के अधीन रहते हुए कि उपधारा (1) के अंतर्गत आने वाली अविधयों से भिन्न ऐसी कर अविधयों के लिए विश्वास किए गए आधार पूर्ववर्ती सूचना में उल्लिखित आधारों के समान ही हैं, सूचना की तामील समझी जाएगी।
- (5) उस मामले में, जहां कर संदत्त नहीं किया गया है या कम सदत्त किया गया या त्रुटिवश प्रतिदाय किया गया है अथवा गलत तरीके से लिया गया या उपयोग किया गया है, वहां शास्ति,—
  - कर अपवंचन के लिए कपट या किसी जानबूझ कर किए गए मिथ्या कथन या तथ्यों को छिपाने के कारणों से भिन्न किसी

5

10

15

20

25

कारण से, ऐसे व्यक्ति से देय कर के दस प्रतिशत के समतुल्य या दस हजार रुपए, जो भी उच्चत्तर हो, होगी ;

(ii) कर अपवंचन के लिए कपट या किसी जानबूझकर किए गए मिथ्या कथन या तथ्यों को छिपाने के लिए ऐसे व्यक्ति से देय कर के समतुल्य होगी ।

5

10

15

20

25

- (6) समुचित अधिकारी कर से प्रभार्य किसी व्यक्ति द्वारा किए गए अभ्यावेदन यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात्, ऐसे व्यक्ति से देय कर, ब्याज और शास्ति की रकम अवधारित करेगा तथा आदेश जारी करेगा ।
- (7) समुचित अधिकारी उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट सूचना को जारी करने की तारीख से बारह मास के भीतर उपधारा (6) के अधीन आदेश जारी करेगा:

परंतु जहां समुचित अधिकारी विनिर्दिष्ट अविध के भीतर आदेश जारी करने में असमर्थ है, वहां आयुक्त या आयुक्त द्वारा प्राधिकृत राज्य कर संयुक्त आयुक्त की पंक्ति से अनिम्न पंक्ति वाला समुचित अधिकारी से पंक्ति में वरिष्ठ अधिकारी, उपधारा (6) के अधीन आदेश जारी करने में विलंब के कारणों को अभिलिखित करके ध्यान में रखते हुए, विनिर्दिष्ट अविध के अवसान के पूर्व, उक्त अविध को अधिकतम छह मास की और अविध तक बढ़ा सकेगा।

- (8) जहां कर अपवंचन के लिए कपट या किसी जानबूझकर किए गए मिथ्या कथन या तथ्यों को छिपाने के कारणों से भिन्न किसी कारण के लिए, जहां कोई कर संदत्त नहीं किया गया है या कम संदत्त किया गया या त्रुटिवश प्रतिदाय किया गया है अथवा गलत तरीके से लिया गया या उपयोग किया गया है, वहां कर से प्रभार्य व्यक्ति,—
  - (i) उपधारा (1) के अधीन सूचना की तामील के पूर्व, ऐसे कर के स्व—अभिनिश्चय अथवा समुचित अधिकारी द्वारा यथा

अभिनिश्चित कर के आधार पर धारा 50 के अधीन ऐसे कर का संदेय ब्याज सिहत कर की रकम का संदाय कर सकेगा और ऐसे संदाय के बारे में लिखित में समुचित अधिकारी को सूचित कर सकेगा तथा समुचित अधिकारी ऐसी सूचना की प्राप्ति पर इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन इस प्रकार संदत्त कर या संदेय किसी शास्ति के संबंध में, यथास्थिति, उपधारा (1) के अधीन किसी सूचना या उपधारा (3) के अधीन कथन की तामील नहीं करेगा:

10

5

(ii) कारण बताओं सूचना के जारी करने के साठ दिन के भीतर धारा 50 के अधीन संदेय ब्याज सिहत उक्त कर का संदाय कर सकेंगा और ऐसा करने पर, कोई शास्ति संदेय नहीं होगी तथा उक्त सूचना के संबंध में सभी कार्यवाहियां समाप्त हुई समझी जाएंगी।

15

(9) जहां कर अपवचन के लिए कपट या किसी जानबूझकर किए गए मिथ्या कथन या तथ्यों को छिपाने के कारणों से भिन्न किसी कारण के लिए, जहां कोई कर संदत्त नहीं किया गया है या कम संदत किया गया या त्रुटिवश प्रतिदाय किया गया है अथवा गलत तरीके से लिया गया या उपयोग किया गया है, वहां कर से प्रभार्य व्यक्ति,—

20

(i) उपधारा (1) के अधीन सूचना की तामील के पूर्व, ऐसे कर के स्व—अभिनिश्चय अथवा समुचित अधिकारी द्वारा यथा अभिनिश्चित कर के आधार पर धारा 50 के अधीन ऐसे कर के संदेय ब्याज और ऐसे कर के पन्द्रह प्रतिशत के समतुल्य शास्ति के साथ कर की रकम का संदाय कर सकेगा और ऐसे संदाय के बारे में लिखित में समुचित अधिकारी को सूचित कर सकेगा, तथा समुचित अधिकारी ऐसी सूचना की प्राप्ति पर इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन इस प्रकार संदत्त कर या संदेय किसी शास्ति के सबंध में, उपधारा (1) के अधीन किसी सूचना की तामील नहीं करेगा।

25

- सूचना के जारी करने के साठ दिन के भीतर धारा 50 के अधीन संदेय ब्याज और ऐसे कर के पच्चीस प्रतिशत के समतुल्य शास्ति के साथ उक्त कर का संदाय कर संकेगा और ऐसा करने पर उक्त सूचना के संबंध में सभी कार्यवाहियां समाप्त हुई समझी जाएंगी ; (iii) आदेश की संसूचना के साठ दिन के भीतर धारा 50 के अधीन संदेय ब्याज और ऐसे कर के पचास प्रतिशत के समतुल्य शास्ति के साथ उक्त कर का संदाय कर सकेगा, और ऐसा करने पर उक्त सूचना के संबंध में सभी कार्यवाहियां समाप्त हुई समझी जाएंगी । 10 (10) जहां समुचित अधिकारी की यह राय है कि जहां उपधारा (8) के खंड (i) या उपधारा (9) के खंड (i) के अधीन संदत्त रकम वास्तविक रूप से संदेय रकम से कम है, वहां ऐसी रकम के संबंध में, जो वास्तविक रूप से सदेय रकम से कम है, उपधारा (1) में यथा उपबंधित सूचना करने के लिए अंग्रसर होगा । 15 (11) उपधारा (8) के खंड (i) या खंड (ii) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (5) के खंड (i) के अधीन वहां शास्ति संदेय होगी, जहां स्व-निर्धारित कर की कोई रकम या कर के रूप में संगृहीत कोई रकम ऐसे कर के संदाय की देय तारीख से तीस दिन की 20
- अवधि के भीतर संदत्त नहीं की गई है।
- (12) वित्तीय वर्ष 2024–25 से संबंधित कर के अवधारण के लिए इस धारा के उपबंध लागू होंगे।

## स्पष्टीकरण 1.-इस धारा के प्रयोजनों के लिए,--

"उक्त सूचना के संबंध में सभी कार्यवाहियां" पद के अंतर्गत धारा 132 के अधीन कार्यवाहियां सम्मिलित नहीं होगी ;

(ii) जहां उन्हीं कार्यवाहियों के अधीन कर का संदाय करने के लिए दायी मुख्य व्यक्ति, और किन्ही अन्य व्यक्तियों को सूचना जारी की जाती है और मुख्य व्यक्ति के विरुद्ध ऐसी कार्यवाहियां इस धारा के अधीन समाप्त हो गई हैं, वहां धारा 122 और धारा 125 के अधीन शास्ति का संदाय करने के लिए दायी सभी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाहियां समाप्त हुई समझी जाएंगी।

स्पष्टीकरण 2.—इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, "छिपाना" पद से ऐसे तथ्यों या जानकारी की घोषणा न करना अभिप्रेत है, जिसके द्वारा कराधेय व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि वह इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन प्रस्तुत की गई विवरणी, विवरण, रिपोर्ट या किसी अन्य दस्तावेज में समुचित अधिकारी द्वारा लिखित में घोषणा करे या पूछे जाने पर कोई जानकारी प्रस्तुत करने की असफलता की घोषणा करे।

## 27. मूल अधिनियम की धारा 75 में,-

धारा 75 का संशोधन

- (क) उपधारा (1) में, "धारा 74" शब्दों, अंकों और कोष्टकों के पश्चात्, "धारा 74क की उपधारा (2) और उपधारा (7)" शब्द, अक्षर, अंक और कोष्टक अंतस्थापित किए जाएंगे;
- (ख) उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अतः स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(2क) जहां किसी अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि धारा 74क की उपधारा (5) के खंड (ii) के अधीन शास्ति इस कारण से पोषणीय नहीं है कि कर अपवंचन के लिए कपट या जानबूझ कर किए गए किसी मिथ्या कथन या तथ्यों को छिपाने के आरोप उस व्यक्ति के विरुद्ध सिद्ध नहीं किए गए हैं, जिसे सूचना जारी

5

10

15

20

की गई थी, ऐसे	व्यक्ति द्वारा	शास्ति का	संदाय	धारा -	74क	की
उपधारां (5) के	खंड (i) के	अधीन हो	या ।";			

- (ग) उपधारा (10) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—
  - "(10) न्यायनिर्णयन कार्यवाहियां समाप्त हुई समझी जाएंगी, यदि आदेश धारा 73 की उपधारा (10) या धारा 74 की उपधारा (10) या धारा 74क की उपधारा (7) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर जारी नहीं किया जाता है ।";
- (घ) उपधारा (11) में, "धारा 74 में" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के पश्चात् "या धारा 74क की उपधारा (7) में" शब्द, अंक अक्षर और कोष्ठक अंतःस्थापित किए जाएंगे;

10

20

25

(ङ) उपधारा (12) में, "धारा 73 या धारा 74" शब्दों और अंकों के पश्चात् "या धारा 74क" शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे और (च) उपधारा (13) में, "धारा 73 या धारा 74" शब्दों और अंकों के पश्चात् "या धारा 74क" शब्द, अंक और 15 अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे।

धारा 104 का संशोधन।

28. मूल अधिनियम की धारा 104 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण में,
"या धारा 74 की उपधारा (2) और उपधारा (10)" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के
पश्चात्, "या धारा 74क की उपधारा (2) और उपधारा (7)" शब्द, अक्षर, अंक और
कोष्ठक अंतःस्थापित किए जाएंगे।

29. मूल अधिनियम की धारा 107 में,—

धारा 107 का संशोधन।

- (क) उपधारा (6) के खंड (ख) में, "पच्चीस" शब्द के स्थान पर, "बीस" शब्द रखा जाएगा;
- (ख) उपधारा (11) के दूसरे परंतुक में, "धारा 73 या धारा 74" शब्दों और अंकों के पश्चात् "धारा 74क" शब्द अंक और अक्षर अंतस्थापित किए जाएंगे।

30. मूल अधिनियम की धारा 109 की उपधारा (1) में, "अपीलों की धारा 109 का सुनवाई के लिए" शब्दों के पश्चात् "या धारा 171 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट ऐसे संशोधन। मामलों के परीक्षण करने के लिए न्यायनिर्णयन के लिए, यदि उक्त धारा के अधीन ऐसा अधिसूचित किया जाता है" शब्द, चिन्ह, कोष्ठक और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे।

## 31. मूल अधिनियम की धारा 112 में,--

धारा 112 का संशोधन।

- (क) 1 अगस्त 2024 से, उपधारा (1) में, "उस आदेश की जिसके विरुद्ध अपील चाही गई है, अपील करने वाले व्यक्ति को संसूचना तारीख से" शब्दों के पश्चात् "या वह तारीख, जो इस अधिनियम के अधीन अपील अधिकरण के समक्ष अपील फाइल करने के लिए, परिषद् की सिफारिशों पर, सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, जो भी पश्चातवर्ती हो" शब्द अंतःस्थापित किए जाएगे;
- (ख) 1 अगस्त 2024 से, उपधारा (3) में, "उस तारीख से जिसको उक्त ओदश से उत्पन्न ऐसे बिन्दुओं जो आयुक्त द्वारा अपने आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं, के अवधारण के लिए उक्त ओदश पारित किया गया है" शब्दों के पश्चात् "या वह तारीख, जिसको आदेश पारित किया गया है; या उस तारीख से, जो इस अधिनियम के अधीन अपील अधिकरण के समक्ष अपील फाइल करने के प्रयोजन के लिए, परिषद् की सिफारिशों पर, सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, जो भी पश्चातवर्ती हो शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;
- (ग) उपधारा (६) में, "अपील स्वीकार कर सकेगा" शब्दों के पश्चात्, "या उपधारा (३) में निर्दिष्ट अवधि के अवसान के पश्चात् तीन मास के भीतर आवेदन फाइल करना अनुज्ञात कर सकेगा" शब्द, कोष्ठक और अंक अतःस्थापित किए जाएंगे;

10

5

15

20

## (घ) उपधारा (८) के खंड (ख) में,-

- (i) "बीस प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर, "दस प्रतिशत" शब्द रखे जाएंगे ;
- (ii) "पचास करोड़ रुपए" शब्दों के स्थान पर, "बीस करोड़ रुपए" शब्द रखे जाएंगे ।

5

10

15

धारा 122 का 32. मूल अधिनियम की धारा 122 की उपधारा (1ख) में, 1 अक्तूबर, संशोधन। 2023 से "कोई इलैक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक जो" शब्दों के स्थान पर, "कोई इलैक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक, जो धारा 52 के अधीन स्रोत पर कर संग्रहण के लिए दायी है," शब्द और अंक रखे जाएंगे ।

धारा 127 का **33.** मूल अधिनियम की धारा 127 में, "धारा 73 या धारा 74" शब्दों और संशोधन। अंकों के पश्चात् "या धारा 74क" शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे।

धारा 128क का **34.** मूल अधिनियम की धारा 128 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापन। अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

- "128क. कितपय कर अविधयों के लिए, धारा 73 के अधीन की गई मांगों से संबंधित ब्याज या शास्ति या दोनों का अधित्यजन.—(1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, जहां किसी व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित के अनुसार कर से प्रभार्य कर की कोई रकम संदेय है,—
- (क) धारा 73 की उपधारा (1) के अधीन जारी सूचना या धारा 73 20 की उपधारा (3) के अधीन जारी कथन और जहां धारा 73 की उपधारा (9) अधीन कोई आदेश जारी नहीं किया गया है ; या
- (ख) धारा 73 की उपधारा (9) के अधीन पारित आदेश और जहां धारा 107 की उपधारा (11) या धारा 108 की उपधारा (1) के 25 अधीन कोई आदेश पारित नहीं किया गया है; या

(ग) धारा 107 की उपधारा (11) या धारा 108 की उपधारा (1) के अधीन पारित आदेश, और जहां धारा 113 की उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश पारित नहीं किया गया है,

1 जुलाई, 2017 से 31 मार्च, 2020 की अवधि या उसके भाग से संबंधित है, और उक्त व्यक्ति, परिषद् की सिफारिशों पर सरकार द्वारा अधिसूचित की जाने वाली तारीख को या उसके पूर्व, यथास्थिति, खंड (क), खंड (ख) या खंड (ग) में निर्दिष्ट सूचना या कथन या आदेश के अनुसार संदेय कर की पूरी रकम का संदाय करता है, धारा 50 के अधीन कोई ब्याज और इस अधिनियम के अधीन कोई शास्ति संदेय नहीं होगी और, यथास्थिति, उक्त सूचना या आदेश या कथन के संबंध में सभी कार्यवाहिया ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं. समाप्त हुई समझी जाएगी:

परंतु जहां धारा 74 की उपधारा (1) के अधीन कोई सूचना जारी की गई है और धारा 75 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या न्यायालय के निदेश के अनुसरण में, समुचित अधिकारी द्वारा कोई आदेश पारित किया जाता है या पारित किया जाना अपेक्षित है, यथास्थिति, उक्त सूचना या आदेश, इस उपधारा के खंड (क) या खंड (ख) में निर्दिष्ट सूचना या आदेश माना जाएगा:

परंतु यह और कि उन मामलों में, जहां आवेदन धारा 107 की उपधारा (3) या धारा 112 की उपधारा (3) के अधीन फाइल किया जाता है या धारा 117 की उपधारा (1) के अधीन या धारा 118 की उपधारा (1) के अधीन राज्य कर के किसी अधिकारी द्वारा अपील फाइल की जाती है या जहां खंड (ख) या खंड (ग) में निर्दिष्ट आदेश के विरुद्ध या पहले परंतुक में निर्दिष्ट अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या न्यायालय के निदेशों के विरुद्ध धारा 108 की उपधारा (1) के अधीन कोई कार्यवाहियां आरंभ की जाती है, वहां इस उपधारा के

5

10

15

20

25

अधीन कार्यवाहियों की समाप्ति इस शर्त के अधीन होगी कि उक्त व्यक्ति उक्त आदेश की तारीख़ से तीन मास के भीतर, यथास्थिति, अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या न्यायालय या पुनरीक्षण प्राधिकारी के आदेश के अनुसार संदेय कर की अतिरिक्त रकम, यदि कोई हो, का सदाय करता है:

5

परंतु यह भी कि जहां ऐसा ब्याज और शास्ति पहले ही संदत कर दी गई है, उसका कोई प्रतिदाय उपलब्ध नहीं होगा।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट कोई बात, त्रुटिवश प्रतिदाय के मद्दे किसी व्यक्ति के द्वारा संदेय किसी रकम के संबंध में लागू नहीं होगी ।

10

(3) उपधारा (1) की कोई बात, उन मामलों के संबंध में लागू नहीं होगी, जहां, यथास्थिति, अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या न्यायालय के समक्ष उक्त व्यक्ति द्वारा फाइल की गई कोई अपील या रिट याचिका लंबित है, और उक्त व्यक्ति द्वारा उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित तारीख को या उसके पूर्व वापस नहीं ली गई है।

15

(4) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट कोई रकम संदत्त की गई है और उक्त उपधारा के अधीन कार्यवाहियां समाप्त हुई समझी जाती हैं, वहां धारा 107 की उपधारा (1) या धारा 112 की उपधारा (1) के अधीन कोई अपील, यथास्थिति, उपधारा (1) के खंड (ख) और खंड (ग) में निर्दिष्ट किसी आदेश के विरुद्ध नहीं होगी ।"।

20

25

- 35. मूल अधिनियम की धारा 171 में,-
  - (क) उपधारा (2) में, निम्नलिखित परंतुक और स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् ;—

धारा 171 का संशोधन। "परंतु सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, उस तारीख को विनिर्देष्ट कर सकेगी, जिससे उक्त प्राधिकारी इस बारे में परीक्षा के लिए कोई अनुरोध स्वीकार नहीं करेगा कि क्या किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा लिए गए इनपुट कर प्रत्ययों या कर की दर में कमी वास्तव में उसके द्वारा पूर्ति किए गए माल या सेवाओं या दोनों की कीमत में आनुपातिक कमी के समरूप है।

स्पष्टीकरण.—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, 'परीक्षा के लिए अनुरोध' से इस बारे में कि क्या किसी रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा लिए गए इनपुट कर प्रत्ययों या कर की दर में कमी से वास्तव में उसके द्वारा पूर्ति किए गए माल या सेवाओं या दोनों की कीमत में आनुपातिक कमी हुई है, परीक्षा का अनुरोध करने के लिए आवेदक द्वारा फाइल किया गया लिखित आवेदन अभिप्रेत है

(ख) स्पष्टीकरण को उसके स्पष्टीकरण 1 के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा और इस पुनः संख्यांकित स्पष्टीकरण 1 के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

> स्पष्टीकरण 2—इस धारा के प्रयोजनों के लिए ''प्राधिकारी'' पद के अंतर्गत ''अपील अधिकरण'' सम्मिलित होगा।''।

36. मूल अधिनियम की अनुसूची 3 में, पैरा 8 के पश्चात् और अनुसूची 3 का स्पष्टीकरण 1 के पूर्व, निम्नलिखित पैरा अंत स्थापित किए जाएंगे, अर्थात :—

"9. इस शर्त के अधीन रहते हुए कि मुख्य बीमाकर्ता, बीमा किए गए व्यक्ति द्वारा संदत्त प्रीमियम की संपूर्ण रकम पर केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्य क्षेत्र कर और एकीकृत कर का संदाय करता है, सह बीमा करारों में बीमा किए गए व्यक्ति को मुख्य बीमाकर्ता और सह—बीमाकर्ता द्वारा संयुक्त रूप से पूर्ति की गई बीमा सेवाओं के

5

10

15

20

लिए मुख्य बीमाकर्ता दवारा सह-बीमाकर्ता को सह-बीमा प्रीमियम के प्रभाजन का क्रियाकलाप ।

10. इस शर्त के अधीन रहते हुए कि पुनः बीमाकर्ता, बीमा किए गए व्यक्ति द्वारा उक्त अभ्यर्पित कमीशन या पुनः बीमा कमीशन सहित सदत पुनः बीमा प्रीमियम की संपूर्ण रकम पर केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्य क्षेत्र कर और एकीकृत कर का संदाय करता है, बीमाकर्ता द्वारा पुन बीमाकर्ता की सेवाएं, जिसके लिए अभ्यर्पित कमीशन या पुन बीमा कमीशन पुन बीमाकर्ता की बीमाकर्ता द्वारा संदत्त पूनः बीमा प्रीमियम से कटौती किया जाता है।"।

37. उन सभी संदत्त करों या प्रतिलोम इनपुट कर प्रत्यय का कोई भी सदत्त करों या प्रतिदाय नहीं किया जाएगा, जिनका इस प्रकार संदाय या प्रतिलोम नहीं किया कर प्रत्यय का 10 गया होता, यदि धारा ११४ सभी तात्विक समयों पर प्रवृत्त होती।

कोई प्रतिदाय न किया जाना

4 का भूतलक्षी प्रभाव ।

38. हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2024 की हिमाचल प्रदेश माल और सेवा धारा ४, १० अक्टूबर, २०२४ से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी। कर (संशोधन) अधिनियम, 2024 की धारा

स्थिविन्द्र सिंह

मुख्यमन्त्री हिमाचल प्रदेश अश्चित्रमाणित

### उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 हिमाचल प्रदेश राज्य द्वारा माल या सेवा या दोनों के राज्यन्त्रिक प्रदाय पर कर के किसी उद्ग्रहण और संग्रहण तथा उससे सम्बद्ध या उसके आनुशंगिक विषयों के लिए केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की तर्ज पर उपबन्ध करने के लिए अधिनियमित किया गया था माल और सेवा कर अधिनियम केन्द्रीय और राज्य स्तर पर लगभग समस्त अप्रत्यक्ष करों को समाविष्ट करते हुए 'एक राष्ट्र, एक कर' दृष्टिकोण सहित अपनी तरह का प्रथम एतिहासिक कर सुधार है। केन्द्रीय सरकार ने पहले ही माल और सेवा कर परिषद् (जी.एस.टी. कौंसिल) की सिफारिशों पर केन्द्रीय माल और सेवा कर का अधिनियम, 2017 में संशोधन कार्यान्वित कर दिया है। इसलिए सम्पूर्ण देश में समान सुधार करने के आशय से राज्य अधिनियम में तत्स्थानी संशोधन कार्यान्वित करना समस्त राज्यों के लिए आंज्ञापक है। अतः सम्पूर्ण देश में एकरूपता लाने के लिए हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में संशोधन करना समीचीन हो गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है

(सुख्विंद्र सिंह सुक्खू) सुरुविन्द्र सिंह मुख्य मन्त्री।

शिमला—171004. तारीख......2025.



# वित्तीय ज्ञापन

विधेयक के उपबंध अधिनियमित किए जाने पर विद्यमान सरकारी तन्त्र के माध्यम से प्रवर्तित किए जाएंगे और इससे कोई अतिरिक्त व्यय अतर्वलित नहीं होगा।

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

–शून्य–

# भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें

(नस्ति संख्याः ईएक्सएन-डी(6)-2/2024)

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025 की विषयवस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात्, भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन विधेयक को विधान सभा में पुरःस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करते हैं।

# हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025

हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 10) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक।** 

(सुखविंद्र सिंह सुक्खू)

**∤**मुख्य मन्त्री।

मुख्यमन्त्री

हिमासल प्रदेश आर्थ्यप्रमाणित

(शरद कुमार लगवाल) प्रधान सचिव (विधि)।

शिमलाः

तारीखः....., 2025

इस संशोधन विधेयक द्वारा सम्भावय प्रभावित होने वाले हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 10) के उपबन्धों के उद्धरण।

### धाराएं:-

9. उद्ग्रहण और संग्रहण.—(1) उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, मानवीय उपभोग के लिए मद्यसारिक पान के प्रदाय को छोड़कर, माल या सेवाओं या दोनों के सभी राज्यांतरिक प्रदायों पर, धारा 15 के अधीन अवधारित मूल्य पर और बीस प्रतिशत से अनिधक ऐसी दरों पर, जो सरकार द्वारा, परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित की जाए, राज्य माल और सेवा कर नामक कर का, ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, उद्ग्रहण और संग्रहण किया जाएगा और जो कराधेय व्यक्ति द्वारा संदत्त किया जाएगा।

## (2) 社 (5) XXX XXX XXX

## 10. प्रशासन उद्ग्रहण.—-(1) से (4) XXX XXX XXX

(5) यदि समुचित अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि किसी कराधेय व्यक्ति ने पात्र न होते हुए भी, यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (2क) के अधीन कर संदत्त कर दिया है तो ऐसा व्यक्ति, किसी ऐसे कर के अतिरिक्त, जो इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन उसके द्वारा संदेय हो, शास्ति का दायी होगा और धारा 73 या धारा 74 के उपबंध यथा आवश्यक परिवर्तनों सिहत कर और शास्ति के अवधारण के लिए लागू होंगे ।

स्पष्टीकरण 1.— इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति की कर संदाय करने की पात्रता का अवधारण करने के लिए इसके सकल आवर्त की संगणना करने के प्रयोजनों के लिए, "सकल आवर्त" पद के अंतर्गत किसी वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल से उस तारीख तक की पूर्तियां सम्मिलित होंगी, जिसको वह इस अधिनियम के अधीन रिजस्ट्रीकरण के लिए दायीबन जाता है, किन्तु जहां तक प्रतिफल को ब्याज या बट्टे के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, निक्षेपों, ऋणों या अग्रिमों को विस्तारित करके छूट प्राप्त सेवाओं की पूर्ति का मूल्य सम्मिलित नहीं होगा।

स्पष्टीकरण 2.—इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा संदेय कर का अवधारण करने के प्रयोजनों के लिए, "किसी राज्य में आवर्त" पद में निम्नलिखित पूर्तियों का मूल्य सम्मिलित नहीं होगा, अर्थात्:—

(i) किसी वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल से उस तारीख तक की पूर्तियां, जिसको वह इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी बन जाता है; और

- (ii) जहां तक प्रतिफल को ब्याज या बट्टे के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, निक्षेपों, ऋणों या अग्रिमों को विस्तारित करके छूट प्राप्त सेवाओं की पूर्ति।
- 11. कर से छूट देने की शक्ति.—(1) जहां सरकार का यह समाधान हो जाता है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, वहां वह, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, साधारणतया, पूर्ण रूप से या ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाएं, उस तारीख से, जो ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, किसी विनिर्दिष्ट विवरण के माल या सेवाओं या दोनों को उस पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण कर से या उसके किसी भाग से छूट दे सकेगी।
- (2) जहां सरकार का यह समाधान हो जाता है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, वहां वह, परिषद् की सिफारिशों पर, प्रत्येक मामले में विशेष आदेश द्वारा, ऐसे आदेश में कथित आपवादिक प्रकृति की परिस्थितियों के अधीन ऐसे किसी माल या सेवाओं या दोनों को, जिन पर कर उद्ग्रहणीय है, कर के संदाय से छूट दे सकेगी।
- (3) सरकार, यदि वह उपधारा (1) के अधीन जारी किसी अधिसूचना की या उपधारा (2) के अधीन जारी आदेश की परिधि या लागू किए जाने को स्पष्ट करने के प्रयोजन के लिए ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझती है तो, उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना या उपधारा (2) के अधीन आदेश जारी होने के एक वर्ष के भीतर किसी समय अधिसूचना द्वारा, यथास्थिति, ऐसी अधिसूचना या ऐसे आदेश में स्पष्टीकरण अंतः स्थापित कर सकेगी और ऐसे प्रत्येक स्पष्टीकरण का वही प्रभाव होगा मानो वह, सदैव, यथास्थिति, ऐसी पहली अधिसूचना या आदेश का भाग था।
- (4) केंद्रीय सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017, (2017 का 12) की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन जारी किसी अधिसूचना या उक्त धारा की उपधारा (2) के अधीन जारी किसी आदेश को इस अधिनियम के जारी, यथास्थिति, अधिसूचना या आदेश समझा जाएगा ।

स्पष्टीकरण.—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, जहां किसी माल या सेवा या दोनों के सबंध में, उस पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण कर से या उसके किसी भाग से पूर्ण रूप से छूट दी गई है, वहां ऐसे माल या सेवाओं या दोनों का प्रदाय करने वाला रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति, ऐसे माल या सेवाओं या दोनों के ऐसे प्रदाय पर प्रभावी दर से अधिक कर का संग्रहण नहीं करेगा ।

# 13. सेवाओं के प्रदाय का समय.—(1) से (2) XXX XXX

(3) ऐसे प्रदाय की दशा में, जिसके संबंध में, प्रतिलोम प्रभार के आधार पर कर का संदाय किया जाता है या कर संदेय है, प्रदाय का समय निम्नलिखित तारीखों से पूर्वतर होगा, अर्थात् :--

- (क) संदाय की तारीख, जो प्राप्तिकर्ता की लेखा—पुस्तकों में प्रविष्ट है या वह तारीख, जिसको उसके बैंक खाते से संदाय का विकलन किया जाता है, इनमें से जो भी पूर्वतर हो; या
- (ख) प्रदायकर्ता द्वारा बीजक या उसके बजाए कोई अन्य दस्तावेज, चाहे जिस नाम से ज्ञात हो, जारी किए जाने की तारीख से साठ दिन के ठीक पश्चात्वर्ती तारीख :

परंतु जहां खंड (क) या खंड (ख) के अधीन प्रदाय के समय का अवधारण संभव नहीं है,वहां प्रदाय का समय, प्रदाय के प्राप्तिकर्ता की लेखा-पुस्तकों में प्रविष्टि की तारीख होगी:

परंतु यह और कि सहयुक्त उद्यमों द्वारा प्रदाय की दशा में, जहां सेवा का प्रदायकर्ता भारत से बाहर स्थित है, वहां प्रदाय का समय, प्रदाय के प्राप्तिकर्ता की लेखा—पुस्तकों में प्रविष्टि की तारीख या संदाय की तारीख, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, होगा।

## (4) 村 (6) XXX XXX XXX

# 16. इनपुट कर प्रत्यय लेने के लिए पात्रता और शर्तें ——(1) से (3) XXX XXX XXX

(4) कोई रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति, उस वित्तीय वर्ष के, जिससे ऐसा बीजक या ऐसे नामे नोट से संबंधिन्त बीजक संबंधित है, अंत के अगले सितंबर मास के लिए धारा 39 के अधीन विवरणी के दिए जाने की देय तारीख के पश्चात् माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के लिए किसी बीजक या नामे नोट के संबंध में या सुसंगत वार्षिक विवरणी के लिए, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, इनपुट कर प्रत्यय लेने का हकदार नहीं होगा।

# (17) प्रत्यय और निरुद्ध प्रत्यायों का प्रभाजन.— (1) से (4) XXX XXX

- (5) धारा 16 की उपधारा (1) और धारा 18 की उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, निम्नलिखित के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय उपलब्ध नहीं होगा, अर्थात् :—
  - (क) तेरह से अनिधक (चालक सिहत) बैठने की क्षमता रखने वाले व्यक्तियों के परिवहन के लिए मोटरयान, सिवाय तब जब उनका उपयोग निम्नलिखित कराधेय प्रदायों को करने के लिए किया जाता है, अर्थात्:—
    - (i) ऐसे मोटरयानों का और प्रदाय; या

- (ii) यात्रियों का परिवहन; या
- (iii) ऐसे मोटरयान को चलाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना;
- (कक) जलयान और वायुयान, सिवाय तब जब उनका उपयोग—
- (i) निम्नलिखित कराधेय प्रदायों को करने के लिए किया जाता है, अर्थात्:—
  - (अ) ऐसे जलयानों और वायुयान के और प्रदाय; या
  - (आ) यात्रियों का परिवहन; या
  - (इ) ऐसे जलयानों को चलाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना; या
  - (ई) ऐसे वायुयान को चलाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना; और
- (ii) माल के परिवहन के लिए—

(कख) साधारण बीमा, सर्विसिंग, मरम्मत और अनुरक्षण की सेवाओं से खंड (क) या खण्ड (कक) में निर्दिष्ट मोटरयान, जलयान या वायुयान, जहां तक ये इनसे सम्बन्धित हैं, से है:

परन्तु ऐसी सेवाओं के सम्बन्ध में इनपुट कर प्रत्यय उपलब्ध होगा--

- (i) जहां खंड (क) या खंड (कक) में निर्दिष्ट मोटरयान, जलयान या वायुयान का उपयोग उसमें विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए किया जाता है; और
- (ii) जहां किसी कराधेय व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जाता है, जो—
- (अ) ऐसे मोटरयान, जलयान या वायुयान के विनिर्माण में लगा हुआ है; या
- (आ) उसके द्वारा बीमाकृत ऐसे मोटरयान, जलयान या वायुयान के सम्बन्ध में साधारण बीमा सेवाओं के प्रदाय में लगा हुआ है;

- (ख) माल या सेवा या दोनों के निम्नलिखित प्रदाय—
  - (i) खाद्य और सुपेय, आऊटडोर कैटरिंग, सौंदर्य उपचार, स्वास्थ्य सेवाएं, कॉस्मेटिक और प्लास्टिक शल्यक्रिया, खंड (क) या खंड (कक) में निर्दिष्ट मोटरयान, जलयान या वायुयान, सिवाय तब जब उनका उपयोग उनमें विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए किया जाता है, को पट्टे पर देने, किराए पर देने या भाड़े पर देने, जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमाः

परन्तु ऐसे माल या सेवा या दोनों के सम्बन्ध में इनपुट कर प्रत्यय उपलब्ध होगा जब ऐसे माल या सेवा या दोनों के आवक प्रदाय का उपयोग किसी रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा उसी प्रवर्ग के माल या सेवा या दोनों की जावक कराधेय प्रदाय के लिए या कराधेय समिश्र या मिश्रित प्रदाय के एक तत्व के रूप में किया जाता है;

- (ii) किसी क्लब, स्वास्थ्य और फिटनेस केन्द्र की सदस्यता; और ;
- (iii) छुट्टी या गृह यात्रा रियायत, जैसे अवकाष पर कर्मचारियों को विस्तारित यात्रा फायदे:

परन्तु ऐसे माल या सेवा या दोनों के सम्बन्ध में इनपुट कर प्रत्यय उपलब्ध होगा, जहां किसी नियोक्ता के लिए अपने कर्मचारियों को तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उपलब्ध करवाना बाध्यकर हो।

- (ग) कार्य संविदा सेवाएं, (संयंत्र और मशीनरी से भिन्न) जब उनका प्रदाय स्थावर संपत्ति के सन्निर्माण के लिए किया जाता है, वहां के सिवाय जहां वह कार्य संविदा सेवा के और प्रदाय के लिए कोई आवक सेवा है:
- (घ) किसी कराधेय व्यक्ति द्वारा, अपने स्वयं के उपयोग के लिए (संयंत्र और मशीनरी से भिन्न) किसी स्थावर संपत्ति, के सन्निर्माण के लिए प्राप्त किया गया माल या सेवाएं या दोनों, जिसके अंतर्गत ऐसा माल या सेवाएं या दोनों भी हैं, जिनका उपयोग कारबार के दौरान या उसे अग्रसर करने के लिए किया जाता है ।

स्पष्टीकरण.—खंड (ग) और खंड (घ) के प्रयोजनों के लिए, "सन्निर्माण" पद के अंतर्गत उक्त स्थावर संपत्ति का पूंजीकरण के विस्तार तक पुनर्निर्माण, नवीकरण, परिवर्धन या परिवर्तन या मरम्मत भी है;

- (ङ) ऐसा माल या सेवाओं या दोनों, जिन पर धारा 10 के अधीन कर संदत्त कर दिया गया है;
- (च) किसी अनिवासी कराधेय व्यक्ति द्वारा, उसके द्वारा आयातित माल पर के सिवाय, प्राप्त माल या सेवाएं या दोनों;

(च-क) कराधेय व्यक्ति द्वारा प्राप्त किए गए माल और सेवाओं या दोनों जिनका कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 में निर्दिष्ट निगम समाजिक दायित्वों के अधीन उसकी बाध्यताओं में संबंधित कार्यकलापों के लिए उपयोग किया जाता है या उपयोग किए जाने के लिए आशयित है।

- (छ) व्यक्तिगत उपभोग के लिए प्रयुक्त माल या सेवाएं या दोनों;
- (ज) खोया हुआ, चोरी हुआ, नष्ट हुआ, दान या निःशुल्क सैंपल द्वारा अपलिखित या व्ययनित माल;
- (झ) धारा 74, धारा 129 और धारा 130 के उपबंधों के अनुसार संदत्त कोई कर।

# (6) XXX XXX XXX

21. आधिक्य में वितिरित प्रत्यय के वसूली की रीति.—जहां इनपुट सेवा वितरक, धारा 20 में अंतर्विष्ट उपबंधों के उल्लंघन में प्रत्यय का ऐसा वितरण करता है, जिसके परिणामस्वरूप प्रत्यय के एक या अधिक प्राप्तिकर्ताओं को आधिक्य प्रत्यय का वितरण हो जाता है वहां ऐसे प्राप्तिकर्ताओं से इस प्रकार वितिरित आधिक्यप्रत्यय ब्याज के साथ वसूल किया जाएगा और, 'यथास्थिति, धारा 73 या धारा 74 के उपबंध वसूल किए जानेवाली रकम के अवधारण के लिए यथा आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

# 30. रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण का प्रतिसंहरण.—(1) XXX XXX XXX

(2) समुचित अधिकारी, ऐसी रीति से और ऐसी अवधि में जो आदेश द्वारा विहित की जाए, या तो रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण का प्रतिसंहरण कर सकेगा या आवेदन को नामंजूर कर सकेगा : परंतु रिजस्ट्रीकरण के प्रतिसंहरण के लिए आवेदन आवेदक को सुनवाई का अवसर दिए बिना नामंजूर नहीं किया जाएगा ।

#### (3) XXX XXX XXX

- 31. कर बीजक.—(1) से (2) XXX XXX XXX
- (3) उपधारा (1) और (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी---
  - (क) रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति, रिजस्ट्रीकरण का प्रमाण—पत्र जारी करने की तारीख से एक मास के भीतर और ऐसी रीति से जो विहित की जाए, रिजस्ट्रीकरण की प्रभावी तारीख से, उसे रिजस्ट्रीकरण प्रमाण—पत्र जारी करने की तारीख तक, प्रारंभ होने वाली अविध के दौरान पहले से जारी बीजक के विरुद्ध पुनरीक्षित बीजक जारी कर सकेगा;
  - (ख) रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति, कर बीजक जारी नहीं कर सकेगा यदि ऐसी शर्तों और ऐसी रीति, जोविहित की जाए के अध्यधीन रहते हुए, माल या सेवाओं या दोनों प्रदायों का मूल्य दो सौ रुपए से कम है,
  - (ग) छूट प्राप्त माल और सेवाओं या दोनों का प्रदाय करने वाला या धारा 10 के उपबंधों केअधीन कर अदा करने वाला रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति, कर बीजक के बजाय ऐसी विशिष्टताएं अंतर्विष्ट करने वाला और ऐसी रीति में जो विहित की जाए, एक बिल जारी करेगा:
    - परन्तु रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, प्रदाय का बिल जारी नहीं करेगा, यदि प्रदाय किया गया मालया सेवाओं या दोनों का मूल्य ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए और ऐसी रीति से जो विहित की जाए, दो सौ रुपए से कम है;
  - (घ) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति माल या सेवाओं या दोनों के किसी प्रदाय के संबंध में अग्रिमसंदाय की प्राप्ति पर ऐसे संदाय के साक्ष्य की रसीद देते हुए ऐसी विशिष्टियों से अंतर्विष्ट, जो विहित की जाएं, कोई रसीद, वाउचर या कोई अन्य दस्तावेज जारी करेगा;
  - (ङ) जहां, माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के संबंध में अग्रिम की प्राप्ति पर रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति कोई रसीद वाउचर जारी करता है, परंतु पश्चात्वर्ती कोई प्रदाय नहीं किया

जाता है और उसके अनुसरण में कोई कर बीजक जारी नहीं किया जाता है, तो उक्त रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति उस व्यक्ति को जिसमें संदाय किया है, ऐसे संदाय के विरूद्ध कोई प्रतिदाय वाउचर जारी कर सकेगा;

- (च) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो धारा 9 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन कर संदत्तकरने के लिए दायी है, उसके द्वारा किसी ऐसे प्रदायकर्ता से, जो रजिस्ट्रीकृत नहीं है, प्राप्त माल या सेवाओं या दोनों की प्राप्ति की तारीख को माल या सेवाओं या दोनों के संबंध में कोई बीजक जारी करेगा;
- (छ) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो धारा 9 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन कर संदत्त करने के लिए दायी है, प्रदायकर्ता को संदाय करते समय कोई संदाय वाउचर जारी करेगा।

# (4) 村 (7) XXX XXX XXX

# **35.** लेखे और अन्य अभिलेख.—(1) से (5) XXX XXX XXX

(6) धारा 17 की उपधारा (5) के खंड (ज) के उपबंधों के अध्यधीन जहां रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति उपधारा(1) के अनुसार माल या सेवाओं या दोनों का लेखा देने में विफल रहता है, वहां समुचित अधिकारी माल या सेवाओं या दोनों पर संदेय कर की रकम, जिसका लेखा नहीं दिया गया है, अवधारित करेगा, मानो ऐसा मालया सेवाएं या दोनों को ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रदाय किया गया था और, यथास्थिति, धारा 73 या धारा 74 के उपबंध ऐसे कर के अवधारण के लिए यथावष्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे ।

# **39**. विवरणियां देना.—(1) से (2) XXX XXX XXX

(3) धारा 51 के उपबंधों के अधीन स्नोत पर कर की कटौती करने के लिए अपेक्षित प्रत्येक रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति, ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाए, उस मास के लिए जिसमें ऐसी कटौती ऐसे मास की समाप्ति के पश्चात् दस दिनों के भीतर, की गई है, की विवरणी इलैक्ट्रॉनिक रूप में देगा।

## (4) से (11) XXX XXX XXX

49. कर, ब्याज, शास्ति और अन्य रकमों का संदाय.—(1) से (7) XXX XXX

- (8) प्रत्येक कराधेय व्यक्ति इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन अपने कर और अन्य देयों का निम्निलिखित क्रम में निर्वहन करेगा, अर्थात् :——
  - (क) स्वतः निर्धारित कर और अन्य पूर्व कर अवधियों से संबंधित विवरणियों के देय;
  - (ख) स्वतः निर्धारित कर और अन्य चालू कर अवधियों से संबंधित विवरणियों के देय, और
  - (ग) इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन संदेय कोई अन्य रकम, जिसके अंतर्गत धारा 73 या धारा 74 के अधीन अवधारित मांग भी है।
  - (9) 社 (11) XXX XXX XXX
- 50. कर के विलंबित संदाय पर ब्याज.— (1) प्रत्येक व्यक्ति, जो इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में कर का संदाय करने का दायी है, किंतु सरकार को विहित अविध के भीतर कर या उसके किसी भाग का संदाय करने में असफल रहता है, उस अविध के लिए जिसके दौरान कर या उसका कोई भाग असंदत्त रहता है, स्वयं ऐसी दर पर ब्याज का, जो अठारह प्रतिशत से अधिक नहीं होगा, जैसा सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित किया जाए, संदाय करेगा।

परन्तु किसी कर अवधि के दौरान की गई पूर्तियों के सम्बन्ध में संदेय कर पर ब्याज को, जिसे धारा 39 के उपबंधों के अनुसार नियत तारीख के पश्चात् उक्त अवधि के लिए प्रस्तुत की गई विवरणी में घोषित किया गया है, सिवाय जहां ऐसी विवरणी को उक्त अवधि के सम्बन्ध में धारा 73 या धारा 74 के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के प्रारम्भ के पश्चात् प्रस्तुत किया जाता है, कर के उस भाग पर उद्गृहीत किया जाएगा, जिसका संदाय इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते से राषि को निकालकर किया गया है।

- (2) और (3) XXX XXX XXX
- **51. म्रो**त पर कर कटौती.—(1) से (6) XXX XXX
- (7) इस धारा के अधीन व्यतिक्रम की रकम का अवधारण धारा 73 या धारा 74 में विनिर्दिष्ट रीति मेंकिया जाएगा ।
  - (8) XXX XXX XXX

# 54. कर का प्रतिदाय.— (1) से (2) XXX XXX XXX

(3) उपधारा (10) के उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति किसी कर अवधि के अंत में ऐसे इनपुट कर प्रत्यय, जिसका उपयोग नहीं किया गया है, के प्रतिदाय का दावा कर सकेगाः

> परंतु निम्नलिखित से भिन्न मामलों में उपयोग न किए गए इनपुट कर प्रत्यय के प्रतिदाय का कोई दावा अनुज्ञात नहीं किया जाएगा—

- (i) कर का संदाय किए बिना किया गया शून्य—दर प्रदाय ;
- (ii) जहां इनपुट पर कर की दर मद्दे सिवाय माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के जैसा कि परिषद् की सिफारिषों पर, सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, आऊटपुट प्रदायों (शून्य मूल्यांकित या

पूर्णतः छूट प्राप्त से भिन्न) पर कर की दर के उच्चतर होने के लेखे संचित हुआ है

परंतु यह और कि इनपुट कर प्रत्यय, जिसका उपयोग नहीं किया गया है, के प्रतिदाय को उन मामलों में अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जहां भारत से बाहर निर्यात किए गए माल निर्यात षुल्क की शर्त के अधीन है:

परंतु यह भी कि इनपुट कर प्रत्यय के किसी प्रतिदाय को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, यदिमाल या सेवाओं या दोनों प्रदायकर्ता शुल्क वापसी लेता है या प्रदायों पूर्तियों पर संदत्त एकीकृत कर के प्रतिदाय का दावा करता है ।

- (4) रो (14) XXX XXX XXX
- 61. विवरणियों की संवीक्षा.— (1) से (2) XXX XXX XXX
- (3) समुचित अधिकारी द्वारा सूचित किए जाने के तीस दिन की अवधि के भीतर या ऐसी और अवधि, जो उसके द्वारा अनुज्ञात की जाए, में समाधानप्रद स्पष्टीकरण प्रस्तुत न किए जाने की दशा में या जहां रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति विसंगतियों को स्वीकार करने के पष्चात् उस मास की विवरणी में, जिसमें विसंगति स्वीकार की गई थी, सुधारकारी उपाय करने में असफल रहता है तो समुचित अधिकारी समुचित कार्रवाई आरंभ कर सकेगा, जिसके अंतर्गत धारा 65 या धारा 66 या धारा 67 के अधीन कार्रवाइयां हैं या धारा 73 या धारा 74 के अधीन कर और अन्य देयों का अवधारण करने के लिए अग्रसर होगा ।

62. विवरणियों को फाइल न करने का निर्धारण.—(1) धारा 73 या धारा 74 में तत्प्रतिकूल किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी जहां कोई रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति धारा 39 या धारा 45 के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने में धारा 46 के अधीन सूचना की तामील के पश्चात् भी असफल रहता है तो समुचित अधिकारी अपनी सर्वोत्तम जानकारी और उपलब्ध सभी सुसंगत तात्विक सामग्री या वह सामग्री, जिसको उसने एकत्रित किया है, को गणना में लेने के पश्चात् उक्त व्यक्ति के करदायित्व का निर्धारण करने के लिए अग्रसर हो सकेगा तथा वित्त वर्ष, जिसके लिए असंदत्त कर संबंधित है, की वार्षिक विवरणी को प्रस्तुत करने के लिए धारा 44 के अधीन विनिर्दिष्ट तारीख से पांच वर्श की अवधि के भीतर निर्धारण का आदेश जारी करेगा ।

### (2) XXX XXX XXX

63. अरिजस्ट्रीकृत व्यक्तियों का निर्धारण.—धारा 73 या धारा 74 में तत्प्रतिकूल किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी जहां कोई कराधेय व्यक्ति रिजस्ट्रीकरण के लिए दायी होते हुए भी उसे अभिप्राप्त करने में असफल रहता है या जिसका रिजस्ट्रीकरण धारा 29 की उपधारा (2) के अधीन रद्द कर दिया गया है किंतु जो कर का संदाय करने का दायी था तो समुचित अधिकारी ऐसे कराधेय व्यक्ति का सुसंगत कर अविध के लिए अपने सर्वोत्तम विवेक से कर दायित्व निर्धारित करने के लिए अग्रसर हो सकेगा तथा वित्त वर्ष, जिसके लिए असंदत्त कर संबंधित है, की वार्षिक विवरणी को प्रस्तुत करने के लिए धारा 44 के अधीन विनिर्दिष्ट तारीख से पांच वर्ष की अविध के भीतर निर्धारण का आदेश जारी कर सकेगा:

परंतु ऐसे व्यक्ति को सुने जाने का अवसर प्रदान किए बिना ऐसा कोई निर्धारण आदेश नहीं किया जाएगा ।

## 64. कतिपय विशेष मामलों में संक्षिप्त निर्धारण.——(1) XXX XXX

(2) उपधारा (1) के अधीन पारित आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर कराधेय व्यक्ति द्वारा किए गए आवेदन पर या स्वप्रेरणा से यदि अतिरिक्त आयुक्त या संयुक्त आयुक्त यह विचार करता है कि ऐसा आदेश त्रुटिपूर्ण है तो वह ऐसे आदेश का प्रतिसंहरण कर सकेगा और धारा 73 और धारा 74 में अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा।

## 65. कर प्राधिकारियों द्वारा लेखा परीक्षा.—(1) से (6) XXX XXX XXX

(7) जहां उपधारा (1) के अधीन संचालित लेखापरीक्षा का परिणाम, कर का संदाय न लिए जाने का पता लगने या कम कर संदत्त किए जाने या त्रुटिवश प्रतिदाय किए जाने या इनपुट कर प्रत्यय को गलत तरीके से लेने या उपयोग करने के रूप में होता है तो समुचित अधिकारी धारा 73 या धारा 74 के अधीन कार्रवाई आरंभ कर सकेगा ।

# **66**. विशेष लेखापरीक्षा.—1) से (5) XXX XXX XXX

- (6) जहां उपधारा (1) के अधीन संचालित विशेष लेखापरीक्षा का परिणाम कर का संदाय न करने का पता लगने या कम कर संदत्त किए जाने या त्रुटिवश प्रतिदाय किए जाने या इनपुट कर प्रत्यय को गलत तरीके से लेने या उपयोग करने के रूप में होता है तो समुचित अधिकारी धारा 73 या धारा 74 के अधीन कार्रवाई आरंभ कर सकेगा।
- 70. व्यक्तियों को साक्ष्य देने और दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए समन करने की शिक्ति.—(1) इस अधिनियम के अधीन समुचित अधिकारी को किसी व्यक्ति को समन करने की, जिसकी उपस्थिति को किसी जांच में वह साक्ष्य देने के लिए या किसी दस्तावेज या किसी वस्तु को प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक समझता है, उसी रीति में शक्ति होगी जैसा कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908, (1908 का 5) के अधीन किसी सिविल न्यायालय को दी गई है।
- (2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक ऐसी जांच को भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 193, (1860 का 45) और धारा 228 के अर्थान्तर्गत "न्यायिक कार्यवाहिया" समझा जाएगा।
- 73. कपट या जानबूझकर मिथ्या कथन या तथ्यों को छिपाने से भिन्न किसी अन्य कारण से असंदत्त या कम संदत्त या त्रुटिवश प्रतिदत्त कर का अथवा गलत तरी के से उपमोग या उपयोग किए गए इनपुट पर प्रत्यय का अवधारण.—(1) जहां समुचित अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि किसी कर का संदाय नहीं किया गया है या कम संदाय किया गया है या त्रुटिवश प्रतिदाय किया गया है या इनपुट कर प्रत्यय को गलती से लिया गया है या कपट से भिन्न किसी अन्य कारण से उसका उपयोग किया गया है या कर अपवंचन के लिए जानबूझ कर कोई मिथ्या कथन किया गया है या तथ्यों को छिपाया गया है तो वह कर, जिसका इस प्रकार संदाय नहीं किया गया है या कम संदाय किया गया है तो वह कर, जिसका इस प्रकार संदाय नहीं किया गया है या कम संदाय किया गया है या तथ्यों को छिपाया गया है तो वह कर, जिसका इस प्रकार संदाय नहीं किया गया है या कम संदाय किया गया है या कपट से भिन्न किसी अन्य कारण से उसका उपयोग किया गया है, के लिए प्रभार्य व्यक्ति को हेतुक उपदर्शन करने के लिए नोटिस की तामील करेगा कि क्यों न वह सूचना में विनिर्दिष्ट रकम के साथ धारा 50 के अधीन उस पर संदेय ब्याज और इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन उदग्रहणीय शास्ति का संदाय करे।

## (2) \(\dagger\) (11) XXX XXX XXX

74. कपट या जानबूझकर मिथ्या कथन या तथ्यों को छिपाने के कारण असंदत्त या कम संदत्त या त्रुटिवश प्रतिदत्त कर का अथवा गलत तरीके से उपभोग या उपयोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय का अवधारण.—(1) जहां समुचित अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि किसी कर का संदाय नहीं किया गया है या कम संदाय किया गया है या त्रुटिवश प्रतिदाय किया गया है या इनपुट कर प्रत्यय को गलती से लिया गया है या कपट से उसका उपयोग किया गया है या कर अपवंचन के लिए जानबूझ कर कोई मिथ्या कथन किया गया है या तथ्यों को छिपाया गया है तो वह कर, जिसका इस प्रकार संदाय नहीं किया गया है या कम संदाय किया गया है या त्रुटिवश प्रतिदाय किया गया है या इनपुट कर प्रत्यय को गलती से लिया गया है या कपट से उसका उपयोग किया गया है, के लिए प्रमार्य व्यक्ति को हेतुक उपदर्शित करने के लिए सूचना की तामील करेगा कि क्यों न वह सूचना में विनिर्दिष्ट रकम के साथ धारा 50 के अधीन उस पर संदेय ब्याज और इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन उदग्रहणीय शास्ति का संदाय करे।

## (2) 社 (10) XXX XXX XXX

(11) जहां कोई व्यक्ति, जिस पर उपधारा (9) के अधीन आदेश की तामील की गई है, धारा 50 के अधीन उस पर संदेय ब्याज के साथ कर और ऐसे कर के पचास प्रतिशत के समतुल्य शास्ति का आदेश की संसूचना के तीस दिन के भीतर संदाय कर देता है तो उक्त नोटिस के संबंध में सभी कार्यवाहियों को पूरा हुआ समझा जाएगा ।

स्पष्टीकरण-1.--धारा ७३ और इस धारा के प्रयोजनों के लिए,--

- (i) "उक्त नोटिस के संबंध में सभी कार्यवाहियां" में धारा 132 के अधीन कार्यवाहियां सम्मिलित नहीं होंगी; और
- (ii) जहां उन्हीं कार्यवाहियों के अधीन कर का संदाय करने के लिए दायी मुख्य व्यक्ति और

कुछ अन्य व्यक्तियों को नोटिस जारी कर दिया है और ऐसी कार्यवाहियों को धारा 73 या धारा 74 के अधीन मुख्य व्यक्ति के विरूद्ध पूरा कर लिया गया है तो धारा 122, धारा 125 के अधीन शास्ति का संदाय करने के लिए दायी सभी व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाहियों को पूरा हुआ समझा जाएगा ।

स्पष्टीकरण-2.—इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, "छिपाना" पद से ऐसे तथ्यों याजानकारी को घोषित नहीं करना जिससे कराधेय व्यक्ति से इस अधिनियम या

तद्धीनबनाए गए नियमों के अधीन विवरणी, विवरण, रिपोर्ट या किसी अन्य दस्तावेज में घोषित करने की अपेक्षा है या लिखित में मांगे जाने पर किसी सूचना को समुचित अधिकारी को प्रस्तुत करने में असफलता अभिप्रेत होगा ।

- 75. कर के अवधारण के संबंध में साधारण उपबंध.—(1) जहां किसी नोटिस की तामील या आदेश के जारी करने पर किसी न्यायालय या अपील अधिकरण द्वारा रोक लगा दी जाती है तो ऐसी रोक की अवधि को, यथास्थिति, धारा 73 की उपधारा (2) और उपधारा (10) तथा धारा 74 की उपधारा (2) और उपधारा (10) में विनिर्दिष्ट अवधि की संगणना करने से अपवर्जित किया जाएगा ।
- (2) जहां कोई अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या न्यायालय का यह निश्कर्श है कि धारा 74 की उपधारा (1) के अधीन इस कारण से पोषणीय (भरणीय) नहीं है कि कर अपवंचन के लिए कपट या जानबूझ कर मिथ्या कथन या तथ्यों को छिपाना उस व्यक्ति के विरुद्ध साबित नहीं होता है जिसको नोटिस जारी किया गया था, तो समुचित अधिकारी ऐसे व्यक्ति द्वारा संदेय कर का यह मानते हुए अवधारण करेगा कि धारा 73 की उपधारा (1) के अधीन नोटिस जारी किया गया था।

### (3) 村 (9) XXX XXX XXX

- (10) न्यायनिर्णयन कार्यवाहियों को पूरा हुआ समझा जाएगा यदि धारा 73 की उपधारा (10) में यथाउपबंधित तीन वर्ष के भीतर या धारा 74 की उपधारा (10) में यथा उपबंधित पांच वर्ष के भीतर आदेश जारी नहीं किया जाता है ।
- (11) कोई विवाद्यक, जिस पर अपील प्राधिकरण या अपील अधिकरण या उच्च न्यायालय द्वारा अपना विनिश्चय लिया गया है जो किन्हीं अन्य कार्यवाहियों में राजस्व के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है और अपील अधिकरण या उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या उच्च न्यायालय के ऐसे विनिश्चय के विरुद्ध कोई अपील लंबित है तो अपील प्राधिकरण और अपील अधिकरण के विनिश्चय की तारीख के बीच की अवधि या अपील अधिकरण और उच्च न्यायालय के विनिश्चय की तारीख को धारा 73 की उपधारा (10) या धारा 74 की उपधारा (10) में निर्दिष्ट अवधि की संगणना करने में वहां अपवर्जित किया जाएगा जहां कार्यवाहियां उक्त धाराओं के अधीन कारण बताओ नोटिस जारी करने के माध्यम से संस्थित की गई हैं।
- (12) धारा 73 या धारा 74 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जहां धारा 39 के अधीन प्रस्तुत विवरणी के अनुसार स्वतः निर्धारित कर की कोई रकम पूर्णतः या भागतः असंदत्त रहती है या ऐसे कर पर संदेय ब्याज की कोई रकम असंदत्त रहती है तो उसकी धारा 79 के उपबंधों के अधीन वसूली की जाएगी ।

स्पष्टीकरण.—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "स्वतःनिर्धारित कर" पद में धारा 37 के अधीन प्रस्तुत किए गए ऐसे जावक प्रदायों के ब्यौरों के संबन्ध में संदेय कर सम्मिलित होगा किन्तु जिसे धारा 39 के अधीन प्रस्तुत विवरणी में सम्मिलित नहीं किया गया है।

- (13) जहां धारा 73 या धारा 74 के अधीन कोई शास्ति अधिरोपित की जाती है तो उसी कृत्य या लोपपर किसी शास्ति को उसी व्यक्ति पर इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन अधिरोपित नहीं किया जाएगा।
- 104. कितपय परिस्थितियों में अग्रिम विनिर्णय का शून्य होना.—(1) जहां प्राधिकरण या अपील प्राधिकरण या राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण द्वारा यह पाया जाता है कि धारा 98 की उपधारा (4) के अधीन या धारा 101 की उपधारा (1) के अधीनया केन्द्रीयमाल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 101 ग उसके द्वारा उद्घोषित अग्रिम विनिर्णय को, आवेदक या अपीलार्थी ने कपट या तात्विक तथ्यों को छिपाने या तथ्यों के दुव्यर्पदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है तो वह आदेश द्वारा ऐसे विनिर्णय को आरंभ से ही शून्य घोषित कर देगा और तत्पष्वात् इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंध आवेदक या अपीलार्थी को ऐसे लागू होंगे मानो अग्रिम विनिर्णय कभी किया ही नहीं था:

परन्तु यह कि इस उपधारा के अधीन कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा यदि आवेदक को सुने जाने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया हो ।

स्पष्टीकरण.——धारा 73 की उपधारा (2) और उपधारा (10) या धारा 74 की उपधारा (2) और उपधारा (10) में विनिर्दिष्ट अवधि की गणना करते समय इस उपधारा के अधीन ऐसे अग्रिम विनिर्णय की तारीख से प्रारंभ होने वाली और आदेश की तारीख को समाप्त होने वाली अवधि को अपवर्जित कर दिया जाएगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन किए गए आदेश की एक प्रति आवेदक, संबंधित अधिकारी और अधिकारिता रखने वाले अधिकारी को भेजी जाएगी ।

## 107. अपील प्राधिकरण को अपील.—(1) से (6) XXX XXX

- (7) जहां उपधारा (6) के अधीन अपीलकर्ता ने रकम का संदाय कर दिया है, वहां बकाया रकम के लिए वसूली कार्यवाहियां स्थगित समझी जाएंगी।
  - (8) रो (10) XXX XXX XXX

(11) अपील प्राधिकरण ऐसी और जांच करने के पश्चात् जो आवश्यक हो, उस विनिश्चय या आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गई है, को संपुष्ट, उपान्तरित या अपास्त करने वाला ऐसा न्यायसंगत और समुचित आदेश पारित करेगा जो वह उचित समझे, किन्तु उस न्याय निर्णायक प्राधिकारी को मामला पुन:निर्दिष्ट नहीं करेगा जिसने ऐसा विनिश्चय या आदेश पारित किया था:

परन्तु अधिहरण या अधिक (वर्धित) मूल्य के माल के अधिहरण के बदले में कोई फीस या शास्ति या जुर्माना बढाने वाला अथवा प्रतिदाय की रकम या इनपुट कर प्रत्यय घटाने वाला कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि अपीलकर्ता को प्रस्तावित आदेश के विरूद्ध कारण दर्शित करने का उचित अवसर न दे दिया गया हो:

परन्तु यह और कि जहां अपील प्राधिकरण की यह राय है कि कोई कर संदत्त नहीं किया गया है या कम संदत्त किया गया है या गलती से प्रतिदाय किया गया है अथवा जहां इनपुट कर प्रत्यय गलत ढंग से प्राप्त किया गया है या उपयोग किया गया है, वहां अपीलकर्ता से ऐसा कर या इनपुट कर प्रत्यय के संदाय की अपेक्षा करने वाला कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि अपीलकर्ता को प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण दर्शित करने का नोटिस नहीं दे दिया गया है और आदेष धारा 73 या धारा 74 के अधीन विनिर्दिष्ट समय—सीमा के भीतर पारित कर किया गया है।

## (12) रो (16) XXX XXX XXX

- 109. अपील अधिकरण और उसकी न्यायपीठ.——(1) इस अध्याय के उपबंधों के अध्यधीन, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017, के अधीन गठित माल और सेवा कर अधिकरण, इस अधिनियम के अधीन अपील प्राधिकरण या पुनरीक्षण प्राधिकरण द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करने के लिए अपील अधिकरण होगा ।
- (2) राज्य में अवस्थित राज्य न्यायपीठ और क्षेत्रीय न्यायपीठों का गठन और अधिकारिता, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017, (2017 का 12) की धारा 109 या तदधीन बनाए गए नियमों के अनुसार होगी।
- 112. अपील अधिकरण को अपील.—(1) इस अधिनियम की धारा 107 या धारा 108 के अधीन या केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017, (2017 का 12) के अधीन उसके विरुद्ध पारित किसी आदेश द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति, उस आदेश जिसके विरुद्ध अपील चाही गई है, अपील करने वाले व्यक्ति को संसूचना की तारीख से, ऐसे आदेश के विरुद्ध तीन मास के भीतर अपील अधिकरण को अपील कर सकेगा।

- (2) अपील अधिकरण ऐसी किसी अपील को स्वविवेकानुसार स्वीकार करने से इन्कार कर सकता है जहां कर या इनपुट कर प्रत्यय अंतर्विलत हो या कर या इनपुट कर प्रत्यय में अंतर अंतर्विलत हो या ऐसे आदेश द्वारा अवधारित जुर्माने की रकम, फीस या शास्ति पचास हजार रूपए से अधिक न हो।
- (3) आयुक्त उक्त आदेश की विधिमान्यता या उपयुक्तता के संबंध में स्वयं के समाधान के प्रयोजन के लिए इस अधिनियम या केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017, (2017 का 12) के अधीन अपीलप्राधिकरण या पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश के अभिलेख को स्वप्रेरणा से या केन्द्रीय कर आयुक्त के अनुरोध पर परीक्षण के लिए मंगा सकेगा और आदेश द्वारा अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को निदेश देकर, उस तारीख से जिसको उक्त आदेश से उत्पन्न ऐसे बिन्दुओं जो आयुक्त द्वारा अपने आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं, के अवधारण के लिए उक्त आदेश पारित किया गया है, से छह मास में अपील अधिकरणको आवेदन कर सकेगा।

## (4) और (5) XXX XXX XXX

- (6) अपील अधिकरण, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अवधि के अवसान के पश्चात् तीन मास में अपील स्वीकार कर सकेगा या उपधारा (5) में निर्दिष्ट अवधि के अवसान के पश्चात् पैंतालीस दिन में प्रति आक्षेपों का ज्ञापन फाइल करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाए कि इसको उस अवधि में प्रस्तुत न कर पाने का उपयुक्त कारण था।
- (7) अपील अधिकरण को अपील, में ऐसे प्ररूप में, ऐसी रीति में सत्यापित और ऐसी फीस सहित होगीजो विहित की जाए।
- (8) उपधारा (1) के अधीन कोई भी अपील तब तक फाइल नहीं की जाएगी जब तक अपीलार्थी ने—
  - (क) कर, ब्याज, जुर्माना, फीस और अपेक्षित आदेश से उत्पन्न शास्ति, जैसी उसके द्वारा स्वीकार की गई हो की रकम के ऐसे भाग को पूर्ण रूप से सदत्त न कर दिया हो, और
  - (ख) धारा 107 की उपधारा (6) के अधीन संदत्त रकम के अतिरिक्त, उक्त आदेष जिसके संबंध में अपील दायर की गई है, से उत्पन्न विवादित कर, की शेष रकम के बीस प्रतिशत के बराबर राशि अधिकतम पचास करोड़ रुपए के अध्यधीन रहते हुए, संदत्त न कर दी गई हो।

## (9) और (10) XXX XXX XXX

# 122. कतिपय अपराधों के लिए शास्ति.—(1) जहां कोई कराधेय व्यक्ति जो—

- (i) किसी बीजक के जारी किए बिना किसी माल या सेवा या दोनों का प्रदाय करता है या ऐसे किसी प्रदाय के लिए मिथ्या या गलत बीजक जारी करता है;
- (ii) इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के उल्लंघन में माल या सेवा या दोनों के प्रदाय के बिना बीजक या बिल जारी करता है;
- (iii) कर के रूप में किसी रकम का संग्रहण करता है किन्तु उसे सरकार को संदत्त करने में तीन मास की अवधि से परे उस तारीख को जिसको ऐसा संदाय देय होता है, असफल रहता है;
- (iv) इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में किसी कर का संग्रहण करता है किन्तु उसे सरकार को संदत्त करने में तीन मास से परे उस तारीख को जिसको ऐसा संदाय देय होता है, असफल रहता है;
- (v) धारा 51 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार कर कटौती में असफल रहता है या किसी रकम की कटौती करता है जो उक्त उपधारा के अधीन कटौती किए जाने के लिए अपेक्षित रकम से कम है या कटौती की गई रकम को उपधारा (2) के अधीन सरकार को जहां कर के रूप में सदत्त करने में असफल रहता है;
- (vi) धारा 52 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार कर संगृहीत करने में असफल रहता है या कोई रकम संगृहीत करता है जो उक्त उपधारा के अधीन संगृहीत किए जाने के लिए अपेक्षित रकम से कम रकम है या जहां वह धारा 52 की उपधारा (3) के अधीन कर के रूप में संगष्टीत रकम सरकार को संदत्त करने में असफल रहता है;
- (vii) इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के उल्लंघन में चाहे पूर्णतः या आंशिक रूप से माल या सेवाओं या दोनों की वास्तविक प्राप्ति के बिना इनपुट कर प्रत्यय को लेता या उपभोग करता है ;
- (viii) इस अधिनियम के अधीन कर का प्रतिदाय कपटपूर्ण तरीके से प्राप्त करता है ;
- (ix) धारा 20 या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उल्लंघन में इनपुट कर प्रत्यय प्राप्त करता है या वितरित करता है ;

- (x) इस अधिनियम के अधीन देय कर के संदाय के अपवंचन के आषय से वित्तीय अभिलेखों को मिथ्या रूप देता है या बदलता या फर्जी लेखाओं या दस्तावेजों को प्रस्तुत करता है या कोई मिथ्या सूचना या विवरणी प्रस्तुत करता है;
- (xi) इस अधिनियम के अधीन रिजस्ट्रीकृत होने के लिए दायी है किन्तु रिजस्ट्रीकरण अभिप्राप्त करने में असफल रहता है :
- (xii) रजिस्ट्रीकरण का आवेदन करते समय या पश्चात्वर्ती रजिस्ट्रीकरण की विशिष्टियों के संबंध में मिथ्या सूचना देता है;
- (xiii) इस अधिनियम के अधीन अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करने से किसी अधिकारी को रोकता है या प्रवरित करता है;
- (xiv) इस निमित यथा विनिर्दिष्ट दस्तावेजों के बिना कराधेय किसी माल का परिवहन कराता है;
- (xv) इस अधिनियम के अधीन कर के अपवंचन के लिए अपने आवर्त को छिपाता है;
- (xvi) इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार लेखा बहियों और अन्य दस्तावेजों को रखने, अनुरक्षित करने या प्रतिधारित करने में असफल रहता है;
- (xvii) इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार किसी अधिकारी द्वारा मांगी गई सूचना या दस्तावेंजों को प्रस्तुत करने में असफल रहता है या इस अधिनियम के अधीन किन्ही कार्यवाहियों के दौरान मिथ्या सूचना देता है या दस्तावेंजों को प्रस्तुत करता है;
- (xviii) ऐसे किसी माल का प्रदाय, परिवहन या भंडारण करता है जिसके लिए उसके पास विश्वास करने का कारण है कि ये इस अधिनियम के अधीन जब्ती के लिए दायी हैं;
- (xix) किसी अन्य रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के रजिस्ट्रीकरण संख्या का उपयोग कर, कोई बीजक या दस्तावेज जारी करता है ;

- (xx) किसी सारभूत साक्ष्य या दस्तावेज से छेड़छाड़ करता है या नष्ट करता है; या
- (xxi) किसी माल को निपटाता या छेड़छाड़ करता है जिसे इस अधिनियम के अधीन निरूद्ध, अभिगृहीत या कुर्क किया गया है, दस हजार रुपए या अपवंचित कर या धारा 51 के अधीन कटौती न किए गए कर या कम कटौती किए गए कर या कटौती किए गए किन्तु सरकार को संदेय नहीं किए गए कर या धारा 52 के अधीन संगृहीत नहीं किए गए कर या कम संगृहीत या संगृहीत किन्तु सरकार को संदत्त नहीं किए गए या इनपुट कर प्रत्यय पर लिए गए या अनियमित रूप से वितरित या संक्रांत या कपटपूर्वक दावाकृत प्रतिदाय जो भी उच्चतर हो, के समतुल्य रकम, का शास्ति के रूप में संदाय करने के लिए दायी होगा।
- (1क) कोई व्यक्ति, जो उपधारा (1) के खण्ड (i), (ii), (vii) या खण्ड (ix) के अन्तर्गत आने वाले संव्यवहार के फायदे का प्रतिधारण करता है और जिसके अनुरोध पर ऐसा संव्यवहार किया जाता है, अपवंचित कर या उपभोग किए गए या संक्रान्त इनपुट कर प्रत्यय के बराबर रकम की शास्ति संदत्त करने का दायी होगा।
- (2) ऐसा कोई रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति जो किसी माल या दोनों का प्रदाय करता है जिस पर कोई कर संदत्त नहीं किया गया है या कम संदत्त किया है या त्रुटिपूर्ण रूप से प्रतिदाय लिया है या जहां इनपुट कर प्रत्यय का गलत तरीके से उपभोग या उपभोग किया है, वहां ऐसा व्यक्ति,—
  - (क) कर के अपवंचन के लिए कपट के कारण या जानबूझ कर किसी मिथ्या कथन या तथ्यों को छिपाने से भिन्न किसी कारण के लिए, दस हजार रुपए या ऐसे व्यक्ति पर देय कर का दस प्रतिशत, जो भी उच्चतर हो, की शास्ति के लिए दायी होगा,—
  - (ख) कर के अपवंचन के लिए कपट या जानबूझकर किसी मिथ्या कथन या तथ्यों को छिपाने के कारण के लिए दस हजार रुपए या ऐसे व्यक्ति पर देय कर, जो भी उच्चतर हो की शास्ति से दायी होगा ।
  - (3) कोई व्यक्ति जो---
    - (क) उपधारा (1) के खंड (i) से खंड (xxi) में विनिर्दिष्ट अपराधों में से किसी के लिए सहायता या दुष्रेरण करता है;
    - (ख) किसी ऐसे माल का कब्जा प्राप्त करता है या उसके परिवहन में, उसे हटाने, जमा करने, रखने, छिपाने, प्रदाय करने या क्रय करने या अन्य किसी रीति में किसी प्रकार

अपने को संबद्ध करता है, जिसके विषय में यह जानता है या उसके पास विश्वास करने का कारण है कि वह इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन अधिहरण के लिए दायी है;

- (ग) किसी ऐसे माल को प्राप्त करता है या उसके प्रदाय से किसी प्रकार संबद्ध है या किसी अन्य रीति से सेवा का कोई प्रदाय करता है जिसके लिए वह जानता है या उसके पास विश्वास करने का कारण है कि वह इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के किन्ही उपबंधों के उल्लंधन में है:
- (घ) किसी जांच में साक्ष्य देने या दस्तावेज को प्रस्तुत करने के लिए हाजिरी हेतु सम्मन के जारी होने पर राज्य कर अधिकारी के समक्ष हाजिर होने में असफल रहता है ; या
- (ङ) इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गएं नियमों के उपबंधों के अनुसार बीजक को जारी करने में असफल रहता है या अपनी लेखा पुस्तकों में बीजक के लिए हिसाब देने में असफल रहता है, ऐसी षास्ति के लिए दायी होगा जो पच्चीस हजार रूपए तक हो सकेगी।
- 127. कितपय मामलों में शास्ति अधिरोपित करने की शक्ति.—जहां समुचित अधिकारी का यह विचार है कि कोई व्यक्ति शास्ति के लिए दायी है और वह धारा 62 या धारा 63 या धारा 64 या धारा 73 या धारा 74 या धारा 129 या धारा 130 के अधीन किसी कार्यवाही में नहीं आती है तो वह ऐसे व्यक्ति को सुनवाई कायुक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् ऐसी शास्ति उद्गृहीत करने का आदेश जारी कर सकेगा।

## 171. मुनाफाखोरी निवारण उपाय.---(1) XXX XXX XXX

(2) केन्द्रीय सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, यह परीक्षण करने के लिए कि क्या किसी रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा उपभोग किये गये इनपुट कर प्रत्यय या कर दर में कमी के अनुरूप उसके द्वारा प्रदाय किये गये माल या सेवाओं या दोनों की कीमत में वास्तव में कमी हुई हैं, किसी प्राधिकरण कागठन कर सकेगी या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी विद्यमान प्राधिकरण को सशक्त कर सकेगी।

## (3) और (4) XXX XXX XXX

## **अनुसूची-3** [धारा 7 (2) देखें]

ऐसे क्रियाकलाप या संव्यवहार जिन्हें न तो माल का प्रदाय और न ही सेवाओं का प्रदाय माना जायेगा।

- 1. किसी कर्मचारी द्वारा अपने नियोजन के अनुक्रम में या उसके संबंध में किसी नियोजक को दी गई सेवाएं।
  - 2. तत्सयम प्रवृत्त किसी विधि के अधीन स्थापित किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा सेवाएं।
- 3. (क) संसद के सदस्यों, राज्य विधान—मण्डल के सदस्यों, पंचायतों के सदस्यों, नगरपालिकाओं के सदस्यों और अन्य स्थानीय प्राधिकरणों के सदस्यों द्वारा किये गये कृत्य;
- (ख) ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा किये गये कर्त्तव्य जो ऐसी हैसियत में संविधान के उपबंधों के अनुसरण में किसी पद को धारित करता है; या
- (ग) किसी व्यक्ति द्वारा, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा स्थापित किसी निकाय में अध्यक्ष या किसी सदस्य या निदेशक के रूप में और जिसे इस खंड के प्रारम्भ से पूर्व किसी कर्मचारी के रूप में न समझा गया हो, किये गये कर्त्तव्य।
- 4. मृतक के ले जाए जाने को सम्मिलित करते हुए, अंतिम संस्कार, दफनाना, शवदागृह या मुर्दाघर की सेवाएं।
- 5. अनुसूची—2 के पैरा 5 के खंड (ख) के अध्यधीन रहते हुए भूमि का विक्रय और भवन का विक्रय।
  - 6. लाटरी, दांव और जुआ से भिन्न अनुयोज्य दावे।
- भारत के बाहर किसी स्थान से भारत के बाहर किसी अन्य स्थान को, ऐसे माल के भारत में प्रवेश किए बिना, माल का प्रदाय;
- 8. (क) घरेलू उपभोग के लिए अनुमित प्रदान किए जाने से पूर्व किसी व्यक्ति को भांडागार में रखे गए माल का प्रदाय;

(ख) परेषिती द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को, माल का भारत के बाहर अवस्थित मूल पत्तन से प्रेषण किए जाने के पश्चात् किन्तु घरेलू उपभोग के लिए अनुमित दिए जाने से पूर्व माल के मालिकाना हंक के दस्तावेज में पृष्ठांकन द्वारा माल का प्रदाय।

स्पष्टीकरण.—1.—पैरा २ के प्रयोजन के लिए, पद 'न्यायालय' में जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय सम्मिलित है।

स्पष्टीकरण.—1.—पैरा ८ के प्रयोजनों के लिए, ''भांडागार में रखे गए माल'' पद का वहीं अर्थ होगा, जो सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) में उसका है।

## AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

BILL NO. 1 OF 2025

# THE HIMACHAL PRADESH GOODS AND SERVICES TAX (AMENDMENT) BILL, 2025

(As Introduced in the Legislative Assembly)

### THE HIMACHAL PRADESH GOODS AND SERVICES TAX (AMENDMENT) BILL, 2025

### ARRANGEMENT OF CLAUSES

### Clauses:

- 1. Short title and commencement.
- 2. Amendment of section 9.
- 3. Amendment of section 10.
- 4. Insertion of section 11A.
- 5. Amendment of section 13.
- 6. Amendment of section 16.
- 7. Amendment of section 17.
- 8. Amendment of section 21.
- 9. Amendment of section 30.
- 10. Amendment of section 31.
- 11. Amendment of section 35.
- 12.
- Amendment of section 39.
- 13. Amendment of section 49. 14.
- Amendment of section 50.
- 15. Amendment of section 51.
- 16. Amendment of section 54.
- 17. Amendment of section 61.
- 18. Amendment of section 62. 19.
- Amendment of section 63. 20. Amendment of section 64.
- 21. Amendment of section 65.
- 22. Amendment of section 66.
- 23. Amendment of section 70.
- 24. Amendment of section 73.
- 25. Amendment of section 74.
- 26. Insertion of section 74A.
- 27. Amendment of section 75.
- 28. Amendment of section 104.
- 29. Amendment of section 107.
- 30. Amendment of section 109.
- 31. Amendment of section 112.

- 32. Amendment of section 122.
- 33. Amendment of section 127.
- 34. Insertion of section 128A.
- 35. Amendment of section 171.
- 36. Amendment of Schedule III.
- 37. No refund of the tax paid or input tax credit reversed.
- 38. Retrospective effect to section 4 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2024.

# THE HIMACHAL PRADESH GOODS AND SERVICES TAX (AMENDMENT) BILL, 2025

(As Introduced in the Legislative Assembly)

#### Α

### **BILL**

further to amend the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (Act No. 10 of 2017).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-sixth Year of the Republic of India as follows:—

- 1. (1) This Act may be called the Himachal Pradesh Goods and Short title and Services Tax (Amendment) Act, 2025.
  - (2) Save as otherwise provided in this Act,-
    - (a) sections 6, 30, 35 and 37, shall be deemed to have come into force on 27th day of September, 2024;
    - (b) sections 2, 3, 4, 5, 7 to 29, 31 to 34 and 36 shall be deemed to have come into force on 1st day of November, 2024.".
- 2. In the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 Amendment of section 9. (hereinafter referred to as the "principal Act"), in section 9, in sub-section (1), after the words "alcoholic liquor for human consumption", the words and sign "and un-denatured extra neutral alcohol or rectified spirit used for manufacture of alcoholic liquor, for human consumption" shall be inserted.
- 3. In section 10 of the principal Act, in sub-section (5), after the Amendment words and figures "section 73 or section 74", the words, figures and letter "or section 74A" shall be inserted.

Chief Minister

Authenticated Himachal Pradesh

15

10

Insertion of After section 11 of the principal Act, the following section shall section 11A. be inserted, namely:— "11A. Power not to recover Goods and Services Tax not levied or short-levied as a result of general practice.-Notwithstanding anything contained in this Act, if the 5 Government is satisfied that a practice was, or is, generally prevalent regarding levy of State tax (including non-levy thereof) on any supply of goods or services or both; and (b) such supplies were, or are, liable to, – 10 State tax, in cases where according to the said practice, State tax was not, or is not being, levied, a higher amount of State tax than what was, or is being, levied, in accordance with the said practice, 15 the Government may, on the recommendation of the Council, by notification in the Official Gazette, direct that the whole of the State tax payable on such supplies, or, as the case may be, the State tax in excess of that payable on such supplies, but for the said practice, shall not be required to be paid in respect of the supplies on which the state tax was not, or is not being levied, 20 or was, or is being, short-levied, in accordance with the said practice.". Amendment 5. In section 13 of the principal Act, in sub-section (3), of section 13. in clause (b), for the words and sign "by the supplier:", the words and signs "by the supplier, in cases where invoice 25 is required to be issued by the supplier; or" shall be substituted: after clause (b), the following clause shall be inserted, namely:— "(c) the date of issue of invoice by the recipient, in cases where invoice is to be issued by the recipient:": and 30

- (iii) in the first proviso, after the words, brackets and letter "or clause (b)", the words, brackets and letter "or clause (c)" shall be inserted.
- of July, 2017, after sub-section (4), the following sub-sections shall be of section 16 inserted, namely:—
  - "(5) Notwithstanding anything contained in sub-section (4), in respect of an invoice or debit note for supply of goods or services or both pertaining to the Financial Years 2017-18, 2018-19, 2019-20 and 2020-21, the registered person shall be entitled to take input tax credit in any return under section 39 which is filed upto the thirtieth day of November, 2021.
  - (6) Where registration of a registered person is cancelled under section 29 and subsequently the cancellation of registration is revoked by any order, either under section 30 or pursuant to any order made by the Appellate Authority or the Appellate Tribunal or court and where availment of input tax credit in respect of an invoice or debit note was not restricted under sub-section (4) on the date of order of cancellation of registration, the said person shall be entitled to take the input tax credit in respect of such invoice or debit note for supply of goods or services or both, in a return under section 39,—
    - filed upto thirtieth day of November following the financial year to which such invoice or debit note pertains or furnishing of the relevant annual return, whichever is earlier; or
    - (ii) for the period from the date of cancellation of registration or the effective date of cancellation of registration, as the case may be, till the date of order of revocation of cancellation of registration, where such return is filed within thirty days from the date of order of revocation of cancellation of registration,

whichever is later.".

10

15

20

25

30

Amendment of section 17.							
Amendment of section 21.	8. "section 73 shall be inse	or sec	ection 21 of the principal Act, after the words and figures ection 74", the words, figures and letter "or section 74A"	5			
Amendment of section 30.	9. proviso, the		ection 30 of the principal Act, in sub-section (2), after the ving proviso shall be inserted, namely:—				
		regis	ovided further that such revocation of cancellation of stration shall be subject to such conditions and restrictions, any be prescribed.".	10			
Amendment of section 31.	10.	In se	ection 31 of the principal Act,—	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
		(a)	in sub-section (3), in clause (f), after the words and figure "of section 9 shall", the words and signs ", within the period as may be prescribed," shall be inserted; and	15			
		(b)	after clause (g), the following Explanation shall be inserted, namely:—				
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			"Explanation.—For the purposes of clause (f), the expression "supplier who is not registered" shall include the supplier who is registered solely for the purpose of deduction of tax under section 51.".	20			
Amendment of section 35.		igures	ection 35 of the principal Act, in sub-section (6), after the s"section 73 or section 74", the words, figures and letter shall be inserted.	25			
Amendment of section 39.			ection 39 of the principal Act, for sub-section (3), the tion shall be substituted, namely:—				

"(3) Every registered person required to deduct tax at source under section 51 shall electronically furnish a return for

every calendar month of the deductions made during the month in such form and manner and within such time as may be prescribed:

Provided that the said registered person shall furnish a return for every calendar month whether or not any deductions have been made during the said month.".

- 13. In section 49 of the principal Act, in sub-section (8), in clause Amendment (c), after the words and figures "section 73 or section 74", the words, figures of section 49 and letter "or section 74A" shall be inserted.
- 10 **14.** In section 50 of the principal Act, in sub-section (1), in the Amendment proviso, after the words and figures "section 73 or section 74", the words, of section 50 figures and letter "or section 74A" shall be inserted.
  - 15. In section 51 of the principal Act, in sub-section (7), after the Amendment words and figures "section 73 or section 74", the words, figures and letter of section 51. "or section 74A" shall be inserted.
    - **16.** In section 54 of the principal Act,—

Amendment of section 54.

- (a) in sub-section (3), the second proviso shall be omitted;
- (b) after sub-section (14) and before the Explanation, the following sub-section shall be inserted, namely:—

"(15) Notwithstanding anything contained in this section, no refund of unutilised input tax credit on account of zero rated supply of goods or of integrated tax paid on account of zero rated supply of goods shall be allowed where such zero rated supply of goods is subjected to export duty."

17. In section 61 of the principal Act, in sub-section (3), after the Amendment words and figures "section 73 or section 74", the words, figures and letter of section 61. "or section 74A" shall be inserted.

5

20

15

of section 62	words and f	igure	s "section 73 or section 74", the words, figures and letter shall be inserted.	
Amendment of section 63.	19. "section 73 shall be inse	or sec	ection 63 of the principal Act, after the words and figures etion 74", the words, figures and letter "or section 74A"	5
Amendment of section 64	words and f	igure	ection 64 of the principal Act, in sub-section (2), after the s "section 73 or section 74", the words, figures and letter shall be inserted.	
Amendment of section 65	words and f	igure	ection 65 of the principal Act, in sub-section (7), after the s "section 73 or section 74", the words, figures and letter shall be inserted.	10
Amendment of section 66	words and f	igure	ection 66 of the principal Act, in sub-section (6), after the s "section 73 or section 74", the words, figures and letter shall be inserted.	15
Amendment of section 70			ection 70 of the principal Act, after sub-section (1), the tion shall be inserted, namely:—	
		bour repr appe state	A) All persons summoned under sub-section (1) shall be nd to attend, either in person or by an authorised esentative, as such officer may direct, and the person so earing shall state the truth during examination or make ements or produce such documents and other things as may equired."	20
Amendment of section 73	24.	In se	ection 73 of the principal Act,—	
		(i)	in the marginal heading, after the words "Determination of tax", the signs, words and figures ", pertaining to the period upto Financial Year 2023-24," shall be inserted;	25

and

(ii) after sub-section (11), the following sub-section shall be inserted, namely:—

"(12) The provisions of this section shall be applicable for determination of tax pertaining to the period upto Financial Year 2023-24."

### 25. In section 74 of the principal Act, –

Amendment of section 74.

- in the marginal heading, after the words "Determination of tax", the signs, words and figures ", pertaining to the period upto Financial Year 2023-24," shall be inserted;
- (ii) after sub-section (11) and before Explanation 1, the following sub-section shall be inserted, namely:—
  - "(12) The provisions of this section shall be applicable for determination of tax pertaining to the period upto Financial Year 2023-24."; and
- (iii) the Explanation 2 shall be omitted.

**26.** After section 74 of the principal Act, the following section Insertion of shall be inserted, namely:—

"74A. Determination of tax not paid or short paid or erroneously refunded or input tax credit wrongly availed or utilized for any reason pertaining to Financial Year 2024-25 onwards.—(1) Where it appears to the proper officer that any tax has not been paid or short paid or erroneously refunded, or where input tax credit has been wrongly availed or utilised, he shall serve notice on the person chargeable with tax which has not been so paid or which has been so short paid or to whom the refund has erroneously been made, or who has wrongly availed or utilised input tax credit, requiring him to show cause as to why he should not pay the amount specified in the notice along with interest payable thereon under section 50 and

15

10

5

20

a penalty leviable under the provisions of this Act or the rules made thereunder:

Provided that no notice shall be issued, if the tax which has not been paid or short paid or erroneously refunded or where input tax credit has been wrongly availed or utilised in a financial year is less than one thousand rupees.

5

(2) The proper officer shall issue the notice under sub-section (1) within forty-two months from the due date for furnishing of annual return for the financial year to which the tax not paid or short paid or input tax credit wrongly availed or utilised relates to or within forty-two months from the date of erroneous refund.

10

(3) Where a notice has been issued for any period under subsection (1), the proper officer may serve a statement, containing the details of tax not paid or short paid or erroneously refunded or input tax credit wrongly availed or utilised for such periods other than those covered under sub-section (1), on the person chargeable with tax.

15

(4) The service of such statement shall be deemed to be service of notice on such person under sub-section (1), subject to the condition that the grounds relied upon for such tax periods other than those covered under sub-section (1) are the same as are mentioned in the earlier notice.

20

(5) The penalty in case where any tax which has not been paid or short paid or erroneously refunded, or where input tax credit has been wrongly availed or utilised,—

25

 for any reason, other than the reason of fraud or any wilful-misstatement or suppression of facts to evade tax, shall be equivalent to ten per cent. of tax due from such person or ten thousand rupees, whichever is higher;

- (ii) for the reason of fraud or any wilful-misstatement or suppression of facts to evade tax shall be equivalent to the tax due from such person.
- (6) The proper officer shall, after considering the representation, if any, made by the person chargeable with tax, determine the amount of tax, interest and penalty due from such person and issue an order.
- (7) The proper officer shall issue the order under sub-section(6) within twelve months from the date of issuance of notice specified in sub-section (2):

Provided that where the proper officer is not able to issue the order within the specified period, the Commissioner, or an officer authorised by the Commissioner senior in rank to the proper officer but not below the rank of Joint Commissioner of State Tax, may, having regard to the reasons for delay in issuance of the order under sub-section (6), to be recorded in writing, before the expiry of the specified period, extend the said period further by a maximum of six months.

- (8) The person chargeable with tax where any tax has not been paid or short paid or erroneously refunded, or where input tax credit has been wrongly availed or utilised for any reason, other than the reason of fraud or any willfulmisstatement or suppression of facts to evade tax, may, —
  - (i) before service of notice under sub-section (1), pay the amount of tax along with interest payable under section 50 of such tax on the basis of his own ascertainment of such tax or the tax as ascertained by the proper officer and inform the proper officer in writing of such payment, and the proper officer, on receipt of such information shall not serve any notice under sub-section (1) or the statement under sub-section (3), as the case may be, in respect of the tax

5

10

15

20

25

so paid or any penalty payable under the provisions of this Act or the rules made thereunder;

(ii) pay the said tax along with interest payable under section 50 within sixty days of issue of show cause notice, and on doing so, no penalty shall be payable and all proceedings in respect of the said notice shall be deemed to be concluded.

(9) The person chargeable with tax, where any tax has not been paid or short paid or erroneously refunded or where input tax credit has been wrongly availed or utilised by reason of fraud, or any wilful-misstatement or suppression of facts to evade tax, may,—

- (i) before service of notice under sub-section (1), pay the amount of tax along with interest payable under section 50 and a penalty equivalent to fifteen per cent. of such tax on the basis of his own ascertainment of such tax or the tax as ascertained by the proper officer and inform the proper officer in writing of such payment, and the proper officer, on receipt of such information, shall not serve any notice under sub-section (1), in respect of the tax so paid or any penalty payable under the provisions of this Act or the rules made there under;
- (ii) pay the said tax along with interest payable under section 50 and a penalty equivalent to twenty-five per cent. of such tax within sixty days of issue of the notice, and on doing so, all proceedings in respect of the said notice shall be deemed to be concluded;
- (iii) pay the tax along with interest payable thereon under section 50 and a penalty equivalent to fifty per cent. of such tax within sixty days of communication of the order, and on doing so, all proceedings in respect of the said notice shall be deemed to be concluded.

5

10

15

20

25

- (10) Where the proper officer is of the opinion that the amount paid under clause (i) of sub-section (8) or clause (i) of sub-section (9) falls short of the amount actually payable, he shall proceed to issue the notice as provided for in sub-section (1) in respect of such amount which falls short of the amount actually payable.
- (11) Notwithstanding anything contained in clause (i) or clause (ii) of sub-section (8), penalty under clause (i) of sub-section (5) shall be payable where any amount of self-assessed tax or any amount collected as tax has not been paid within a period of thirty days from the due date of payment of such tax.
- (12) The provisions of this section shall be applicable for determination of tax pertaining to the Financial Year 2024-25 onwards.

Explanation 1.—For the purposes of this section,—

- (i) the expression "all proceedings in respect of the said notice" shall not include proceedings under section 132;
- (ii) where the notice under the same proceedings is issued to the main person liable to pay tax and some other persons, and such proceedings against the main person have been concluded under this section, the proceedings against all the persons liable to pay penalty under sections 122 and 125 are deemed to be concluded.

Explanation 2.—For the purposes of this Act, the expression "suppression" shall mean non-declaration of facts or information which a taxable person is required to declare in the return, statement, report or any other document furnished under this Act or the rules made

10

5

15

20

25

thereunder, or failure to furnish any information on being asked for, in writing, by the proper officer.".

# Amendment of section 75.

### 27. In section 75 of principal Act,—

(a) in sub-section (1), after the word and figures "section 74", the words, brackets, figures and letter "or sub-sections(2) and (7) of section 74A" shall be inserted;

5

10

15

20

- (b) after sub-section (2), the following sub-section shall be inserted, namely:
  - "(2A) Where any Appellate Authority or Appellate Tribunal or court concludes that the penalty under clause (ii) of sub-section (5) of section 74A is not sustainable for the reason that the charges of fraud or any willful-misstatement or suppression of facts to evade tax has not been established against the person to whom the notice was issued, the penalty shall be payable by such person, under clause (i) of sub-section (5) of section 74A.";
- (c) for sub-section (10), the following sub-section shall be substituted, namely:—
  - "(10) The adjudication proceedings shall be deemed to be concluded, if the order is not issued within the period specified in sub-section (10) of section 73 or in sub-section (10) of section 74 or in sub-section (7) of section 74A.";
- (d) in sub-section (11), after the word and figures "section 74", the words, brackets, figures and letter "or sub-section (7) of section 74A" shall be inserted;
- (e) in sub-section (12), after the words and figures "section 73 or section 74", the words, figures and letter "or section 74 A" shall be inserted; and

- (f) in sub-section (13), after the words and figures "section 73 or section 74", the words, figures and letter "or section 74 A" shall be inserted.
- 28. In section 104 of the principal Act, in sub-section (1), in the Amendment Explanation, after the word and figures "section 74", the words, brackets, of section figures and letter "or sub-sections (2) and (7) of section 74A" shall be inserted.

### 29. In section 107 of the principal Act,—

Amendment of section 107.

- (a) in sub-section (6), in clause (b), for the word "twenty-five", the word "twenty" shall be substituted; and
- (b) in sub-section (11), in the second proviso, after the words and figures "section 73 or section 74", the words, figures and letter "or section 74 A" shall be inserted.
- **30.** In section 109 of the principal Act, in sub-section (1), after the Amendment words "Revisional Authority", the signs, words, brackets and figures ", or for 109 conducting an examination or adjudicating the cases referred to in sub-section (2) of section 171, if so notified under the said section" shall be inserted.

### 31. In section 112 of the principal Act,—

Amendment of section

- (a) with effect from the 1st day of August, 2024, in sub-section (1), after the words "from the date on which the order sought to be appealed against is communicated to the person preferring the appeal", the signs and words "; or the date, as may be notified by the Government, on the recommendations of the Council, for filing appeal before the Appellate Tribunal under this Act, whichever is later." shall be inserted:
- (b) with effect from the 1st day of August, 2024, in sub-section (3), after the words "from the date on which the said order has been passed", the signs and words "; or the date, as may be notified by the Government, on the recommendations of the Council, for the purpose of filing

30

10

15

20

			ication before the Appellate Tribunal under this Act, chever is later," shall be inserted;				
	(c)	"afte (1)", of ar	in sub-section (6), after the words, brackets and figure "after the expiry of the period referred to in sub-section (1)", the words, brackets and figure "or permit the filing of an application within three months after the expiry of the period referred to in sub-section (3)" shall be inserted; and				
	(d)	) in su	ab-section (8), in clause (b),—				
		(i)	for the words "twenty per cent.", the words "ten per cent." shall be substituted;	10			
		(ii)	for the words "fifty crore rupees", the words "twenty crore rupees" shall be substituted.				
Amendment of section 122.	of October, 202 commerce oper	23, in ator w tor, w	122 of the principal Act, with effect from the 1st day sub-section (1B), for the words "Any electronic ho", the words, signs and figures "Any electronic no is liable to collect tax at source under section 52,"	15			
Amendment of section 127.		ection	127 of the principal Act, after the words and figures 74", the words, figures and letter "or section 74A"	20			
Insertion of section 1282	34. Aft shall be inserted,		tion 128 of the principal Act, the following section y:-				
٠.	de per cor	mand riods. ntained	Vaiver of interest or penalty or both relating to s raised under section 73, for certain tax—(1) Notwithstanding anything to the contrary lin this Act, where any amount of tax is payable by a argeable with tax in accordance with,—	25			

(a) a notice issued under sub-section (1) of section 73 or a

statement issued under sub-section (3) of section 73, and

where no order under sub-section (9) of section 73 has been issued; or

- (b) an order passed under sub-section (9) of section 73, and where no order under sub-section (11) of section 107 or sub-section (1) of section 108 has been passed; or
- (c) an order passed under sub-section (11) of section 107 or sub-section (1) of section 108, and where no order under sub-section (1) of section 113 has been passed,

pertaining to the period from 1<sup>st</sup> July, 2017 to 31<sup>st</sup> March, 2020, or a part thereof, and the said person pays the full amount of tax payable as per the notice or statement or the order referred to in clause (a), clause (b) or clause (c), as the case may be, on or before the date, as may be notified by the Government on the recommendations of the Council, no interest under section 50 and penalty under this Act, shall be payable and all the proceedings in respect of the said notice or order or statement, as the case may be, shall be deemed to be concluded, subject to such conditions as may be prescribed:

Provided that where a notice has been issued under subsection (1) of section 74, and an order is passed or required to be passed by the proper officer in pursuance of the direction of the Appellate Authority or Appellate Tribunal or a court in accordance with the provisions of sub-section (2) of section 75, the said notice or order shall be considered to be a notice or order, as the case may be, referred to in clause (a) or clause (b) of this sub-section:

Provided further that the conclusion of the proceedings under this sub-section, in cases where an application is filed under sub-section (3) of section 107 or under sub-section (3) of section 112 or an appeal is filed by an officer of State tax under sub-section (1) of section 117 or under sub-section (1) of section 118 or where any proceedings are initiated under sub-section (1) of section 108, against an order referred to in

5

10

15

20

25

clause (b) or clause (c) or against the directions of the Appellate Authority or the Appellate Tribunal or the court referred to in the first proviso, shall be subject to the condition that the said person pays the additional amount of tax payable, if any, in accordance with the order of the Appellate Authority or the Appellate Tribunal or the court or the Revisional Authority, as the case may be, within three months from the date of the said order:

5

Provided also that where such interest and penalty has already been paid, no refund of the same shall be available.

10

- (2) Nothing contained in sub-section (1) shall be applicable in respect of any amount payable by the person on account of erroneous refund.
- (3) Nothing contained in sub-section (1) shall be applicable in respect of cases where an appeal or writ petition filed by the said person is pending before Appellate Authority or Appellate Tribunal or a court, as the case may be, and has not been withdrawn by the said person on or before the date notified under sub-section (1).

15

(4) Notwithstanding anything contained in this Act, where any amount specified under sub-section (1) has been paid and the proceedings are deemed to be concluded under the said sub-section, no appeal under sub-section (1) of section 107 or sub-section (1) of section 112 shall lie against an order referred to in clause (b) or clause (c) of sub-section (1), as the case may be."

20

25

Amendment of section

### 35. In section 171 of the principal Act,—

(a) in sub-section (2), the following proviso and Explanation shall be inserted, namely:—

"Provided that the Government may by notification, on the recommendations of the Council, specify the date

from which the said Authority shall not accept any request for examination as to whether input tax credits availed by any registered person or the reduction in the tax rate have actually resulted in a commensurate reduction in the price of the goods or services or both supplied by him.

Explanation.—For the purposes of this sub-section, "request for examination" shall mean the written application filed by an applicant requesting for examination as to whether input tax credits availed by any registered person or the reduction in the tax rate have actually resulted in a commensurate reduction in the price of the goods or services or both supplied by him.";

(b) the Explanation shall be renumbered as Explanation 1 thereof, and after Explanation 1 as so renumbered, the following Explanation shall be inserted, namely:—

"Explanation 2.—For the purposes of this section, the expression "Authority" shall include the "Appellate Tribunal"."

- 36. In Schedule III to the principal Act, after paragraph 8 and Amendment before Explanation 1, the following paragraphs shall be inserted, namely:—
  - "9. Activity of apportionment of co-insurance premium by the lead insurer to the co-insurer for the insurance services jointly supplied by the lead insurer and the co-insurer to the insured in co-insurance agreements, subject to the condition that the lead insurer pays the central tax, the State tax, the Union territory tax and the integrated tax on the entire amount of premium paid by the insured.
  - 10. Services by insurer to the reinsurer for which ceding commission or the reinsurance commission is deducted from reinsurance premium paid by the insurer to the reinsurer, subject to the condition that the central tax, the State tax, the Union territory tax and the integrated tax is

5

10

15

20

25

paid by the reinsurer on the gross reinsurance premium payable by the insurer to the reinsurer, inclusive of the said ceding commission or the reinsurance commission.".

No refund of tax paid or input tax credit reversed.

Services Tax (Amendment) Act, 2024.

37. No refund shall be made of all the tax paid or the input tax credit reversed, which would not have been so paid, or not reversed, had section 114 been in force at all material times.

5

Retrospective affect to section 4 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2024, shall be deemed to have come into force on the the Himachal 10<sup>th</sup> day of October, 2024. Pradesh Goods and

Chief Minister Himachal Pradesh

Authenticated

### STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 was enacted on the analogy of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 to make provision for levying and collection of tax on intra-State supply of goods or services or both by the State of Himachal Pradesh and matters connected therewith or incidental thereto. The Goods and Services Tax Act is a landmark tax reform with first of its kind, 'one nation, one tax' approach, aimed at subsuming almost all indirect taxes at the Central and State level. The Central Government has already carried out amendments in the Central Goods and Services Tax Act, 2017 on the recommendations of the Goods and Services Tax Council (GST Council). Therefore, in order to have a uniform threshold across the Country, it is mandatory for all the State Governments to carry out corresponding amendments in the State Act. Hence, it has become expedient to amend the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 in order to have uniformity across the Country.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(SUKHVINDER SINGH SUKHU)

Chief Minister.

SHIMLA:

Mylun

Himachal Pradesh

Authenticated

#### FINANCIAL MEMORANDUM

The provisions of the Bill when enacted are to be enforced through the existing Government machinery and no additional expenditure will be involved.

## MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

-Nil-

# RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE CONSTITUION OF INDIA

(File No. EXN-D(6)-2/2024)

The Governor of Himachal Pradesh having been informed of the subject matter of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax (Amendment) Bill, 2025, recommends under article 207 of the Constitution of India, the introduction and the consideration of the Bill in the Legislative Assembly.

# THE HIMACHAL PRADESH GOODS AND SERVICES TAX (AMENDMENT) BILL, 2025

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (Act No. 10 of 2017).

(SUKHVINDER SINGH SUKHU)

Chief Minister.

Chief Minister Himachal Pradesh Authenlicated

(SHARAD KUMAR LAGWAL)

Pr. Secretary (Law).

SHIMLA:

THE...., 2025

EXTRACT OF THE PROVISIONS OF THE HIMACHAL PRADESH GOODS AND SERVICES TAX ACT, 2017 (ACT NO. 10 OF 2017) LIKELY TO BE AFFECTED BY THIS AMENDMENT BILL.

#### **Sections:**

- 9. Levy and collection.—(1) Subject to the provisions of sub-section (2), there shall be levied a tax called the Himachal Pradesh goods and services tax on all intra-State supplies of goods or services or both, except on the supply of alcoholic liquor for human consumption, on the value determined under section 15 and at such rates, not exceeding twenty per cent, as may be notified by the Government, on the recommendations of the Council and collected in such manner as may be prescribed and shall be paid by the taxable person.
  - (2) to (5) XXX XXX XXX
  - 10. Composition levy.—(1) to (4) XXX XXX XXX
- (5) If the proper officer has reasons to believe that a taxable person has paid tax under sub-section (1) or sub-section (2A), as the case may be, despite not being eligible, such person shall, in addition to any tax that may be payable by him under any other provisions of this Act, be liable to a penalty and the provisions of section 73 or section 74 shall, mutatis mutandis, apply for determination of tax and penalty.

Explanation 1.—For the purposes of computing aggregate turnover of a person for determining his eligibility to pay tax under this section the expression "aggregate turnover" shall include the value of supplies made by such person from the 1st day of April of financial year up to the date when he becomes liable for registration under this Act, but shall not include the value of exempt supply of services provided by way of extending deposits, loans or advances in so far as the consideration in represented by way of interest or discount.

Explanation 2.—For the purpose of determining tax payable by a person under this section, the expression "turnover in state" shall not include the value of following supplies, namely:—

- (i) supplies from the 1st day of April of financial year upto the date when such person liable for registration for this Act; and
- (ii) exempt supply services provided by way of extending deposits, loans or advances in so far as the consideration is represented by way of interest or discount.

- 11. Power to grant exemption from tax.—(1) Where the Government is satisfied that it is necessary in the public interest so to do, it may, on the recommendations of the Council, by notification, exempt generally, either absolutely or subject to such conditions as may be specified therein, goods or services or both of any specified description from the whole or any part of the tax leviable thereon with effect from such date as may be specified in such notification.
- (2) Where the Government is satisfied that it is necessary in the public interest so to do, it may, on the recommendations of the Council, by special order in each case, under circumstances of an exceptional nature to be stated in such order, exempt from payment of tax any goods or services or both on which tax is leviable.
- (3) The Government may, if it considers necessary or expedient so to do for the purpose of clarifying the scope or applicability of any notification issued under sub-section (1) or order issued under sub-section (2), insert an explanation in such notification or order, as the case may be, by notification at any time within one year of issue of the notification under sub-section (1) or order under sub-section (2), and every such explanation shall have effect as if it had always been the part of the first such notification or order, as the case may be.
- (4) Any notification issued by the Central Government, on the recommendations of the Council, under sub-section (1) of section 11 or order issued under sub-section (2) of the said section of the Central Goods and Services Tax Act, 2017, (No. 12 of 2017.) shall be deemed to be a notification or, as the case may be, an order issued under this Act.

*Explanation.*—For the purposes of this section, where an exemption in respect of any goods or services or both from the whole or part of the tax leviable thereon has been granted absolutely, the registered person supplying such goods or services or both shall not collect the tax, in excess of the effective rate, on such supply of goods or services or both.

## 13. Time of supply of services.—(1) to (2) XXX XXX XXX

- (3) In case of supplies in respect of which tax is paid or liable to be paid on reverse charge basis, the time of supply shall be the earlier of the following dates, namely:—
  - the date of payment as entered in the books of account of the recipient or the date on which the payment is debited in his bank account, whichever is earlier; or

(b) the date immediately following sixty days from the date of issue of invoice or any other document, by whatever name called, in lieu thereof by the supplier:

Provided that where it is not possible to determine the time of supply under clause (a) or clause (b), the time of supply shall be the date of entry in the books of account of the recipient of supply:

Provided further that in case of supply by associated enterprises, where the supplier of service is located outside India, the time of supply shall be the date of entry in the books of account of the recipient of supply or the date of payment, whichever is earlier.

(4) to (6) XXX XXX XXX

## 

(4) A registered person shall not be entitled to take input tax credit in respect of any invoice or debit note for supply of goods or services or both after the due date of furnishing of the return under section 39 for the month of September following the end of financial year to which such invoice or debit note pertains or furnishing of the relevant annual return, whichever is earlier.

## 17. Apportionment of credit and blocked credits.—(1) to (4) XXX XXX XXX

- (5) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) of section 16 and sub-section (1) of section 18, input tax credit shall not be available in respect of the following, namely:—
  - (a) motor vehicles for transportation of persons having approved seating capacity of not more than thirteen persons (including the driver), except when they are used for making the following taxable supplies, namely:—
    - (i) further supply of such motor vehicles; or
    - (ii) transportation of passengers; or
    - (iii) imparting training on driving such motor vehicles;

- (aa) vessels and aircraft except when they are used—
  - (i) for making the following taxable supplies, namely:—
    - (A) further supply of such vessels or aircraft; or
    - (B) transportation of passengers; or
    - (C) imparting training on navigating such vessels; or
    - (D) imparting training on flying such aircraft; and
  - (ii) for transportation of goods;
    - (ab) services of general insurance, servicing, repair and maintenance in so far as they relate to motor vehicles, vessels or aircraft referred to in clause (a) or clause (aa):

Provided that the input tax credit in respect of such services shall be available—

- (i) where the motor vehicles, vessels or aircraft referred to in clause (a) or clause (aa) are used for the purposes specified therein; and
- (ii) where received by a taxable person engaged-
  - (A) in the manufacture of such motor vehicles, vessels or aircraft; or
  - (B) in the supply of general insurance services in respect of such motor vehicles, vessels or aircraft insured by him;
- (b) the following supply of goods or services or both-
  - (i) food and beverages, outdoor catering, beauty treatment, health services, cosmetic and plastic surgery, leasing, renting or hiring of motor vehicles, vessels or aircraft referred to in clause (a) or clause (aa) except when used for the purposes specified therein, life insurance and health insurance:

Provided that the input tax credit in respect of such goods or services or both shall be available where an inward supply of such goods or services or both is used by a registered person for making an outward taxable supply of the same category of goods or services or both or as an element of a taxable composite or mixed supply;

- (ii) membership of a club, health and fitness centre; and
- (iii) travel benefits extended to employees on vacation such as leave or home travel concession:

Provided that the input tax credit in respect of such goods or services or both shall be available, where it is obligatory for an employer to provide the same to its employees under any law for the time being inforce.

- (c) works contract services when supplied for construction of an immovable property (other than plant and machinery) except where it is an input service for further supply of works contract service;
- (d) goods or services or both received by a taxable person for construction of an immovable property (other than plant or machinery) on his own account including when such goods or services or both are used in the course or furtherance of business.
  - Explanation.— For the purposes of clauses (c) and (d), the expression "construction" includes re-construction, renovation, additions or alterations or repairs, to the extent of capitalisation, to the said immovable property;
- (e) goods or services or both on which tax has been paid under section 10;
- (f) goods or services or both received by a non-resident taxable person except on goods imported by him;
- (fa) goods or services or both received by a taxable persons which are used or intended to be used for activities relating to his obligations under corporate social responsibility referred to in section 135 of the Companies Act, 2013;
- (g) goods or services or both used for personal consumption;

- (h) goods lost, stolen, destroyed, written off or disposed of by way of gift or free samples; and
- (i) any tax paid in accordance with the provisions of sections 74, 129 and 130.

#### (6) XXX XXX XXX

21. Manner of recovery of credit distributed in excess.—Where the Input Service Distributor distributes the credit in contravention of the provisions contained in section 20 resulting in excess distribution of credit to one or more recipients of credit, the excess credit so distributed shall be recovered from such recipients along with interest, and the provisions of section 73 or section 74, as the case may be, shall, mutatis mutandis, apply for determination of amount to be recovered.

## 30. Revocation of cancellation of registration.—(1) XXX XXX XXX

(2) The proper officer may, in such manner and within such period as may be prescribed, by order, either revoke cancellation of the registration or reject the application:

Provided that the application for revocation of cancellation of registration shall not be rejected unless the applicant has been given an opportunity of being heard.

- (3) XXX XXX XXX
- 31. Tax invoice.—(1) to (2) XXX XXX XXX
- (3) Notwithstanding anything contained in sub-sections (1) and (2)—
  - (a) a registered person may, within one month from the date of issuance of certificate of registration and in such manner as may be prescribed, issue a revised invoice against the invoice already issued during the period beginning with the effective date of registration till the date of issuance of certificate of registration to him;
  - (b) a registered person may not issue a tax invoice if the value of the goods or services or both supplied is less than two hundred rupees subject to such conditions and in such manner as may be prescribed;
  - (c) a registered person supplying exempted goods or services or both or paying tax under the provisions of section 10 shall issue, instead of a tax invoice, a bill

of supply containing such particulars and in such manner as may be prescribed: Provided that the registered person may not issue a bill of supply if the value of the goods or services or both supplied is less than two hundred rupees subject to such conditions and in such manner as may be prescribed;

- (d) a registered person shall, on receipt of advance payment with respect to any supply of goods or services or both, issue a receipt voucher or any other document, containing such particulars as may be prescribed, evidencing receipt of such payment;
- (e) where, on receipt of advance payment with respect to any supply of goods or services or both the registered person issues a receipt voucher, but subsequently no supply is made and no tax invoice is issued in pursuance thereof, the said registered person may issue to the person who had made the payment, a refund voucher against such payment;
- (f) a registered person who is liable to pay tax under sub-section (3) or subsection (4) of section 9 shall issue an invoice in respect of goods or services or both received by him from the supplier who is not registered on the date of receipt of goods or services or both;
- (g) a registered person who is liable to pay tax under sub-section (3) or subsection (4) of section 9 shall issue a payment voucher at the time of making payment to the supplier.

#### (4) to (7) XXX XXX XXX

#### 35. Accounts and other records.—(1) to (5) XXX XXX XXX

(6) Subject to the provisions of clause (h) of sub-section (5) of section 17, where the registered person fails to account for the goods or services or both in accordance with the provisions of sub-section (1), the proper officer shall determine the amount of tax payable on the goods or services or both that are not accounted for, as if such goods or services or both had been supplied by such person and the provisions of section 73 or section 74, as the case may be, shall, mutatis mutandis, apply for determination of such tax.

## **39.** Furnishing of returns.—(1) to (2) XXX XXX XXX

- (3) Every registered person required to deduct tax at source under the provisions of section 51 shall furnish, in such form and manner as may be prescribed, a return, electronically, for the month in which such deductions have been made within ten days after the end of such month.
  - (4) to (11) XXX XXX XXX
- 49. Payment of tax, interest, penalty and other amounts.—(1) to (7) XXX XXX XXX
- (8) Every taxable person shall discharge his tax and other dues under this Act or the rules made there under in the following order, namely:—
  - (a) self-assessed tax, and other dues related to returns of previous tax periods;
  - (b) self-assessed tax, and other dues related to the return of the current tax period; and
  - (c) any other amount payable under this Act or the rules made there under including the demand determined under section 73 or section 74.
  - (9) to (11) XXX XXX XXX
- **50.** Interest on delayed payment of tax.—(1) Every person who is liable to pay tax in accordance with the provisions of this Act or the rules made there under, but fails to pay the tax or any part thereof to the Government within the period prescribed, shall for the period for which the tax or any part thereof remains unpaid, pay, on his own, interest at such rate, not exceeding eighteen per cent, as may be notified by the Government, on the recommendations of the Council:

Provided that the interest on tax payable in respect of supplies made during a tax period and declared in the return for the said period furnished after the due date in accordance with the provisions of section 39, except where such return is furnished after commencement of any proceedings under section 73 or section 74 in respect of the said period, shall be payable on that portion of the tax that is paid by debiting the electronic cash ledger.

- (2) and (3) XXX XXX XXX
- 51. Tax deduction at source.—(1) to (6) XXX XXX

- (7) The determination of the amount in default under this section shall be made in the manner specified in section 73 or section 74.
  - (8) XXX XXX XXX
  - **54.** Refund of tax.—(1) and (2) XXX XXX XXX
- (3) Subject to the provisions of sub-section (10), a registered person may claim refund of any unutilised input tax credit at the end of any tax period: Provided that no refund of unutilised input tax credit shall be allowed in cases other than—
  - (i) zero-rated supplies made without payment of tax; and
  - (ii) where the credit has accumulated on account of rate of tax on inputs being higher than the rate of tax on output supplies (other than nil rated or fully exempt supplies), except supplies of goods or services or both as may be notified by the Government, on the recommendations of the Council:

Provided further that no refund of unutilised input tax credit shall be allowed in cases where the goods exported out of India are subjected to export duty:

Provided also that no refund of input tax credit shall be allowed, if the supplier of goods or services or both avails of drawback or claims refund of the integrated tax paid on such supplies.

#### (4) to (14) XXX XXX XXX

## 61. Scrutiny of returns.—(1) and (2) XXX XXX XXX

- (3) In case no satisfactory explanation is furnished within a period of thirty days of being informed by the proper officer or such further period as may be permitted by him or where the registered person, after accepting the discrepancies, fails to take the corrective measure in his return for the month in which the discrepancy is accepted, the proper officer may initiate appropriate action including those under section 65 or section 66 or section 67, or proceed to determine the tax and other dues under section 73 or section 74.
- 62. Assessment of non-filers of returns.—(1) Notwithstanding anything to the contrary contained in section 73 or section 74, where a registered person fails to furnish the return under section 39 or section 45, even after the service of a notice under section 46, the proper officer may proceed to assess the tax liability of the said person to the best of his judgement taking into account

all the relevant material which is available or which he has gathered and issue an assessment order within a period of five years from the date specified under section 44 for furnishing of the annual return for the financial year to which the tax not paid relates.

#### (2) XXX XXX XXX

63. Assessment of unregistered persons.—Notwithstanding anything to the contrary contained in section 73 or section 74, where a taxable person fails to obtain registration even though liable to do so or whose registration has been cancelled under sub-section (2) of section 29 but who was liable to pay tax, the proper officer may proceed to assess the tax liability of such taxable person to the best of his judgement for the relevant tax periods and issue an assessment order within a period of five years from the date specified under section 44 for furnishing of the annual return for the financial year to which the tax not paid relates:

Provided that no such assessment order shall be passed without giving the person an opportunity of being heard.

## 64. Summary assessment in certain special cases.—(1) XXX XXX XXX

(2) On an application made by the taxable person within thirty days from the date of receipt of order passed under sub-section (1) or on his own motion, if the Additional Commissioner or Joint Commissioner considers that such order is erroneous, he may withdraw such order and follow the procedure laid down in section 73 or section 74.

## 65. Audit by tax authorities.—(1) to (6) XXX XXX XXX

(7) Where the audit conducted under sub-section (1) results in detection of tax not paid or short paid or erroneously refunded, or input tax credit wrongly availed or utilised, the proper officer may initiate action under section 73 or section 74.

#### **66.** Special audit.—(1) to (5) XXX XXX XXX

- (6) Where the special audit conducted under sub-section (1) results in detection of tax not paid or short paid or erroneously refunded, or input tax credit wrongly availed or utilised, the proper officer may initiate action under section 73 or section 74.
- 70. Power to summon persons to give evidence and produce documents.—(1) The proper officer under this Act shall have powers to summon any person whose attendance he considers necessary either to give evidence or to produce a document or any other thing in any

inquiry in the same manner, as provided in the case of a civil court under the provisions of the Code of Civil Procedure, 1908, (5 of 1908).

- (2) Every such inquiry referred to in sub-section (1) shall be deemed to be a "judicial proceedings" within the meaning of section 193 and section 228 of the Indian Penal Code, 1860, (45 of 1860).
- 73. Determination of tax not paid or short paid or erroneously refunded or input tax credit wrongly availed or utilised for any reason other than fraud or any wilful misstatement or suppression of facts.—(1) Where it appears to the proper officer that any tax has not been paid or short paid or erroneously refunded, or where input tax credit has been wrongly availed or utilised for any reason, other than the reason of fraud or any wilful mis-statement or suppression of facts to evade tax, he shall serve notice on the person chargeable with tax which has not been so paid or which has been so short paid or to whom the refund has erroneously been made, or who has wrongly availed or utilised input tax credit, requiring him to show cause as to why he should not pay the amount specified in the notice along with interest payable thereon under section 50 and a penalty leviable under the provisions of this Act or the rules made there under.

## (2) to (11) XXX XXX XXX

74. Determination of tax not paid or short paid or erroneously refunded or input tax credit wrongly availed or utilised by reason of fraud or any wilful mis-statement or suppression of facts.—(1) Where it appears to the proper officer that any tax has not been paid or short paid or erroneously refunded or where input tax credit has been wrongly availed or utilised by reason of fraud, or any wilful mis-statement or suppression of facts to evade tax, he shall serve notice on the person chargeable with tax which has not been so paid or which has been so short paid or to whom the refund has erroneously been made, or who has wrongly availed or utilised input tax credit, requiring him to show cause as to why he should not pay the amount specified in the notice along with interest payable thereon under section 50 and a penalty equivalent to the tax specified in the notice.

#### (2) to (10) XXX XXX XXX

(11) Where any person served with an order issued under sub-section (9) pays the tax along with interest payable thereon under section 50 and a penalty equivalent to fifty per cent of such tax within thirty days of communication of the order, all proceedings in respect of the said notice shall be deemed to be concluded.

Explanation-1.—For the purposes of section 73 and this section,—

- (i) the expression "all proceedings in respect of the said notice" shall not include proceedings under section 132; and
- (ii) where the notice under the same proceedings is issued to the main person liable to pay tax and some other persons, and such proceedings against the main person have been concluded under section 73 or section 74, the proceedings are against all the persons liable to pay penalty under Sections 122 and 125 deemed to be concluded.

Explanation-2.—For the purpose of this Act, the expression "suppression" shall mean non-declaration of facts or information which a taxable person is required to declare in the return, statement, report or any other document furnished under this Act or the rules made there under, or failure to furnish any information on being asked for, in writing, by the proper officer.

- 75. General provisions relating to determination of tax.—(1) Where the service of notice or issuance of order is stayed by an order of a court or Appellate Tribunal, the period of such stay shall be excluded in computing the period specified in sub-sections (2) and (10) of section 73 or sub-sections (2) and (10) of section 74, as the case may be.
- (2) Where any Appellate Authority or Appellate Tribunal or court concludes that the notice issued under sub-section (1) of section 74 is not sustainable for the reason that the charges of fraud or any wilful mis-statement or suppression of facts to evade tax has not been established against the person to whom the notice was issued, the proper officer shall determine the tax payable by such person, deeming as if the notice was issued under sub-section (1) of section 73.

## (3) to (9) XXX XXX XXX

- (10) The adjudication proceedings shall be deemed to be concluded, if the order is not issued within three years as provided for in sub-section (10) of section 73 or within five years as provided for in sub-section (10) of section 74.
- (11) An issue on which the Appellate Authority or the Appellate Tribunal or the High Court has given its decision which is prejudicial to the interest of revenue in some other proceedings and an appeal to the Appellate Tribunal or the High Court or the Supreme Court against such decision of the Appellate Authority or the Appellate Tribunal or the High Court is pending, the period spent between the date of the decision of the Appellate Authority and that of the Appellate Tribunal or the date of decision of the Appellate Tribunal and that of the High Court or the date of

the decision of the High Court and that of the Supreme Court shall be excluded in computing the period referred to in sub-section (10) of section 73 or sub-section (10) of section 74 where proceedings are initiated by way of issue of a show cause notice under the said sections.

(12) Notwithstanding anything contained in section 73 or section 74, where any amount of self-assessed tax in accordance with a return furnished under section 39 remains unpaid, either wholly or partly, or any amount of interest payable on such tax remains unpaid, the same shall be recovered under the provisions of section 79.

Explanation. - For the purposes of this sub-section, the expression "Self-assessed tax" shall include the tax payable in respect of details of outward supplies furnished under section 37, but not included in the return furnished under section 39.

- (13) Where any penalty is imposed under section 73 or section 74, no penalty for the same act or omission shall be imposed on the same person under any other provision of this Act.
- 104. Advance ruling to be void in certain circum-stances.—(1) Where the Authority or the Appellate Authority or the National Appellate Authority" finds that advance ruling pronounced by it under sub-section (4) of section 98 or under sub-section (1) of section 101 or under section 101C of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) has been obtained by the applicant or the appellant by fraud or suppression of material facts or misrepresentation of facts, it may, by order, declare such ruling to be void ab-initio and thereupon all the provisions of this Act or the rules made there under shall apply to the applicant or the appellant as if such advance ruling had never been made:

Provided that no order shall be passed under this sub-section unless an opportunity of being heard has been given to the applicant or the appellant.

Explanation.—The period beginning with the date of such advance ruling and ending with the date of order under this sub-section shall be excluded while computing the period specified in sub-sections (2) and (10) of section 73 or sub-sections (2) and (10) of section 74.

- (2) A copy of the order made under sub-section (1) shall be sent to the applicant concerned officer and the jurisdictional officer.
  - 107. Appeals to Appellate Authority.—(1) to (6) XXX XXX XXX

(7) Where the appellant has paid the amount under sub-section (6), the recovery proceedings for the balance amount shall be deemed to be stayed.

## (8) to (10) XXX XXX XXX

(11) The Appellate Authority shall, after making such further inquiry as may be necessary, pass such order, as it thinks just and proper, confirming, modifying or annulling the decision or order appealed against but shall not refer the case back to the adjudicating authority that passed the said decision or order:

Provided that an order enhancing any fee or penalty or fine in lieu of confiscation or confiscating goods of greater value or reducing the amount of refund or input tax credit shall not be passed unless the appellant has been given a reasonable opportunity of showing cause against the proposed order:

Provided further that where the Appellate Authority is of the opinion that any tax has not been paid or short-paid or erroneously refunded, or where input tax credit has been wrongly availed or utilised, no order requiring the appellant to pay such tax or input tax credit shall be passed unless the appellant is given notice to show cause against the proposed order and the order is passed within the time limit specified under section 73 or section 74.

#### (12) to (16) XXX XXX XXX

- 109. Constitution of Appellate Tribunal and Benches thereof.—Subject to the provisions of this Chapter, the Goods and Services Tax Tribunal constituted under the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (No.12 of 2017) shall be the Appellate Tribunal for hearing appeals against the orders passed by the Appellate Authority or the Revisional Authority under this Act.
- 112. Appeals to Appellate Tribunal.—(1) Any person aggrieved by an order passed against him under section 107 or section 108 of this Act or the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (No.12 of 2017) may appeal to the Appellate Tribunal against such order within three months from the date on which the order sought to be appealed against is communicated to the person preferring the appeal.

#### (2) XXX XXX XXX

(3) The Commissioner may, on his own motion, or upon request from the Commissioner of central tax, call for and examine the record of any order passed by the Appellate Authority or the Revisional Authority under this Act or under the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (No.12 of 2017) for the purpose of satisfying himself as to the legality or propriety of the said order and may, by order, direct any officer subordinate to him to apply to the Appellate Tribunal within six months from the date on which the said order has been passed for determination of such points arising out of the said order as may be specified by the Commissioner in his order.

## (4) and (5) XXX XXX XXX

- (6) The Appellate Tribunal may admit an appeal within three months after the expiry of the period referred to in sub-section (1), or permit the filing of a memorandum of crossobjections within forty five days after the expiry of the period referred to in sub-section (5), if it is satisfied that there was sufficient cause for not presenting it within that period.
- (7) An appeal to the Appellate Tribunal shall be in such form, verified in such manner and shall be accompanied by such fee, as may be prescribed.
- (8) No appeal shall be filed under sub-section (1), unless the appellant has paid—(a) in full, such part of the amount of tax, interest, fine, fee and penalty arising from the impugned order, as is admitted by him, and (b) a sum equal to twenty per cent of the remaining amount of tax in dispute, in addition to the amount paid under sub-section (6) of the section 107, arising from the said order, subject to a maximum of fifty crore rupees, in relation to which the appeal has been filed.

#### (9) and (10) XXX XXX XXX

#### **122. Penalty for certain offences.**—(1) Where a taxable person who—

- (i) supplies any goods or services or both without issue of any invoice or issues an incorrect or false invoice with regard to any such supply;
- (ii) issues any invoice or bill without supply of goods or services or both in violation of the provisions of this Act or the rules made there under;
- (iii) collects any amount as tax but fails to pay the same to the Government beyond a period of three months from the date on which such payment becomes due;

- (iv) collects any tax in contravention of the provisions of this Act but fails to pay the same to the Government beyond a period of three months from the date on which such payment becomes due;
- (v) fails to deduct the tax in accordance with the provisions of sub-section (1) of section 51, or deducts an amount which is less than the amount required to be deducted under the said sub-section, or where he fails to pay to the Government under sub-section (2) thereof, the amount deducted as tax;
- (vi) fails to collect tax in accordance with the provisions of sub-section (1) of section 52, or collects an amount which is less than the amount required to be collected under the said sub-section or where he fails to pay to the Government the amount collected as tax under sub-section (3) of section 52;
- (vii) takes or utilizes input tax credit without actual receipt of goods or services or both either fully or partially, in contravention of the provisions of this Act or the rules made there under;
- (viii) fraudulently obtains refund of tax under this Act;
- (ix) takes or distributes input tax credit in contravention of section 20, or the rules made there under;
- falsifies or substitutes financial records or produces fake accounts or documents or furnishes any false information or return with an intention to evade payment of tax due under this Act;
- (xi) is liable to be registered under this Act but fails to obtain registration;
- (xii) furnishes any false information with regard to registration particulars, either at the time of applying for registration, or subsequently;
- (xiii) obstructs or prevents any officer in discharge of his duties under this Act;
- (xiv) transports any taxable goods without the cover of documents as may be specified in this behalf;
- (xv) suppresses his turnover leading to evasion of tax under this Act;

- (xvi) fails to keep, maintain or retain books of account and other documents in accordance with the provisions of this Act or the rules made there under;
- (xvii) fails to furnish information or documents called for by an officer in accordance with the provisions of this Act or the rules made there under or furnishes false information or documents during any proceedings under this Act;
- (xviii) supplies, transports or stores any goods which he has reasons to believe are liable to confiscation under this Act;
- (xix) issues any invoice or document by using the registration number of another registered person;
- (xx) tampers with, or destroys any material evidence or documents; and
- (xxi) disposes off or tampers with any goods that have been detained, seized, or attached under this Act,

he shall be liable to pay a penalty of ten thousand rupees or an amount equivalent to the tax evaded or the tax not deducted under section 51 or short deducted or deducted but not paid to the Government or tax not collected under section 52 or short collected or collected but not paid to the Government or input tax credit availed of or passed on or distributed irregularly, or the refund claimed fraudulently, whichever is higher.

- (1A) Any person who retains the benefit of a transaction covered under clauses (i), (ii), (vii) or clause (ix) of sub-section (I) and at whose instance such transaction is conducted, shall be liable to a penalty of an amount equivalent to the tax evaded or input tax credit availed of or passed on.
- (2) Any registered person who supplies any goods or services or both on which any tax has not been paid or short-paid or erroneously refunded, or where the input tax credit has been wrongly availed or utilized,—
  - (a) for any reason, other than the reason of fraud or any wilful mis-statement or suppression of facts to evade tax, shall be liable to a penalty of ten thousand rupees or ten per cent of the tax due from such person, whichever is higher;
  - (b) for reason of fraud or any wilful mis-statement or suppression of facts to evade tax, shall be liable to a penalty equal to ten thousand rupees or the tax due from such person, whichever is higher.

## (3) Any person who—

- (a) aids or abets any of the offences specified in clauses (i) to (xxi) of sub-section (1);
- (b) acquires possession of or in any way concerns himself in transporting, removing, depositing, keeping, concealing, supplying, or purchasing or in any other manner deals with any goods which he knows or has reasons to believe are liable to confiscation under this Act or the rules made there under;
- (c) receives or is in any way concerned with the supply of or in any other manner deals with any supply of services which he knows or has reasons to believe are in contravention of any provisions of this Act or the rules made there under;
- (d) fails to appear before the officer of State tax, when issued with a summon for appearance to give evidence or produce a document in an inquiry; or
- (e) fails to issue invoice in accordance with the provisions of this Act or the rules made there under or fails to account for an invoice in his books of account,

shall be liable to a penalty which may extend to twenty five thousand rupees.

127. Power to impose penalty in certain cases.—Where the proper officer is of the view that a person is liable to a penalty and the same is not covered under any proceedings under section 62 or section 63 or section 64 or section 73 or section 74 or section 129 or section 130, he may issue an order levying such penalty after giving a reasonable opportunity of being heard to such person.

#### 171. Anti-profiteering measure.-(1) XXX XXX XXX

(2) The Central Government may, on the recommendations of the Council, by notification, constitute an Authority, or empower an existing Authority constituted under any law for the time being in force, to examine whether input tax credits availed by any registered person or the reduction in the tax rate have actually resulted in a commensurate reduction in the price of the goods or services or both supplied by him.

(3) and (4) XXX XXX XXX

## SCHEDULE-III [See section 7(2)]

## ACTIVITIES OR TRANSACTIONS WHICH SHALL BE TREATED NEITHER AS A SUPPLY OF GOODS NOR A SUPPLY OF SERVICES

- 1. Services by an employee to the employer in the course of or in relation to his employment.
- 2. Services by any court or Tribunal established under any law for the time being in force.
  - 3. (a) the functions performed by the Members of Parliament, Members of State Legislature, Members of Panchayats, Members of Municipalities and Members of other local authorities;
    - (b) the duties performed by any person who holds any post in pursuance of the provisions of the Constitution in that capacity; or
    - (c) the duties performed by any person as a Chairperson or a Member or a Director in a body established by the Central Government or a State Government or local authority and who is not deemed as an employee before the commencement of this clause.
- 4. Services of funeral, burial, crematorium or mortuary including transportation of the deceased.
  - 5. Sale of land and, subject to clause (b) of paragraph 5 of Schedule II, sale of building.
  - 6. Actionable claims, other than specified actionable claim.
- 7. Supply of goods from a place outside India to another place outside India without such goods entering into India.
  - 8. (a) Supply of warehoused goods to any person before clearance for home consumption;

(b) Supply of goods by the consignee to any other person, by endorsement of documents of title to the goods, after the goods have been dispatched from the port of origin located outside India but before clearance for home consumption.

**Explanation-1.**— For the purposes of paragraph 2, the term "court" includes District Court, High Court and Supreme Court.

**Explanation-2.**—For the purposes of paragraph 8, the expression "warehoused goods" shall have the same meaning as assigned to it in the Customs Act, 1962 (52 of 1962).